

अध्याय – 2

बिक्रियों, व्यापार पर कर/वैट

अध्याय 2: बिक्रियों, व्यापार पर कर/वैट

2.1.1 कर प्रबन्ध

बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर (वैट) कानून तथा उसके अधीन बनाए गए नियम सरकारी स्तर पर अपर मुख्य सचिव (आबकारी एवं कराधान) द्वारा संचालित किए जाते हैं। आबकारी एवं कराधान आयुक्त (ई.टी.सी.), आबकारी एवं कराधान विभाग का मुखिया होता है जिसकी सहायता के लिए नौ अपर-ई.टी.सी., 10 संयुक्त-ई.टी.सीज, 50 उप-ई.टी.सीज तथा 203 आबकारी एवं कराधान अधिकारी (ई.टी.ओज) होते हैं। संबंधित कर नियमों तथा कानूनों के संचालन के लिए उनकी सहायता आबकारी एवं कराधान निरीक्षकों तथा अन्य संबद्ध स्टॉफ द्वारा की जाती है।

2.1.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

2014-15 में 41 वैट/बिक्री कर-निर्धारणों से संबंधित अभिलेखों (राजस्व इकाइयां: 32 तथा व्यय इकाई: 9) तथा अन्य अभिलेखों की नमूना-जांच ने 1,438 मामलों में ₹ 2,328.72 करोड़ के कर अवनिर्धारण तथा अन्य अनियमितताएं दर्शाई जो तालिका 2.1 में निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आती हैं:

तालिका 2.1

(₹ करोड़ में)			
क्र.सं.	श्रेणियां	मामलों की संख्या	राशि
1	“वैट के अंतर्गत कर-निर्धारण की प्रणाली” पर निष्पादन लेखापरीक्षा	1	310.48
2.	कर का अवनिर्धारण	723	379.84
3.	दोषपूर्ण सांविधिक ‘फार्मों’ का स्वीकरण	52	7.05
4.	विक्रयों/क्रयों को छिपाने के कारण कर का अपवंचन	67	14.72
5.	आई.टी.सी. की अनियमित/गलत/अधिक अनुमति	168	28.41
6.	अन्य अनियमितताएं	427	1,588.22
योग		1,438	2,328.72

वर्ष के दौरान, विभाग ने 83 मामलों में ₹ 308.00 करोड़ के अवनिर्धारण और अन्य कमियां स्वीकार की जिसमें से 11 मामलों में आवेष्टित ₹ 290.74 करोड़ वर्ष के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गए थे। विभाग ने 42 मामलों में ₹ 1.14 करोड़ वसूल कर लिए थे जिनमें से ₹ 0.13 करोड़ से आवेष्टित नौ मामले वर्ष 2014-15 तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित थे।

₹ 327.94 करोड़ के कर प्रभाव से आवेष्टित “वैट के अंतर्गत कर-निर्धारण की प्रणाली” पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा तथा अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर निम्नलिखित अनुच्छेदों में चर्चा की गई है:

2.2 वैट के अंतर्गत कर-निर्धारण की प्रणाली

2.2.1 विशिष्टताएं

- पंजीकरण प्रमाण-पत्र को रद्द करने के अतिरिक्त कर-निर्धारणों के अंतिमकरण के लिए प्रावधान के अभाव के कारण दो मामलों में ₹ 17.52 करोड़ के राजस्व की वसूली नहीं हुई।
(अनुच्छेद 2.2.8)
- अपंजीकृत निर्माण ठेकेदारों से अन्तर्विभागीय डाटा की विनिमय प्रणाली स्थापित करने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप 605 मामलों में ₹ 35.66 करोड़ की पेनल्टी के अतिरिक्त ₹ 35.66 करोड़ के कर की वसूली नहीं हुई।
(अनुच्छेद 2.2.9)
- ₹ 235.50 करोड़ मूल्य की अवर्गीकृत मदों पर 12.5 प्रतिशत की लागू दर के विरुद्ध चार/पांच प्रतिशत के कर की गलत दर लागू करने के परिणामस्वरूप 49 मामलों में ₹ 92 लाख के अनियमित रिफंड के अतिरिक्त ₹ 14.98 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।
(अनुच्छेद 2.2.11.1)
- कर-निर्धारण प्राधिकारियों (ए.एज) ने जाली घोषणा फार्मों सी, एफ तथा एच के विरुद्ध माल की बिक्री/हस्तांतरण पर कर की शून्य/रियायती दर अनुमत की जिसके परिणामस्वरूप 16 मामलों में ₹ 13.23 करोड़ की पेनल्टी तथा ₹ 4.41 करोड़ के कर का अनुद्ग्रहण हुआ।
(अनुच्छेद 2.2.11.2)
- कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने सी फार्मों पर बेचे गए माल के गतिविधि के प्रमाण प्रस्तुत न करने तथा झूठी रिटर्नो/वैट सी-4 प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने के लिए कर की अन्तरीय राशि उद्ग्रहीत की किंतु 13 मामलों में ₹ 18.07 करोड़ की अनिवार्य पेनल्टी उद्ग्रहण करने में विफल रहे।
{अनुच्छेद 2.2.11.3 (i) तथा (ii)}
- कर-निर्धारण प्राधिकारियों ने कैरी-फारवर्ड कर का गलत परिकलन, कर रियायत की छूट तथा 90 मामलों में ₹ 55 करोड़ के ब्याज तथा सरचार्ज का उद्ग्रहण नहीं किया।
(अनुच्छेद 2.2.11.4)
- चैकलिस्टें बनाने, घोषणा फार्मों के लेखे प्राप्त करने, कर के भुगतान के प्रमाण, बिक्रियों/क्रयों के क्रास सत्यापन तथा माल की गतिविधि की चैकिंग करने के संबंध में मार्च 2006/फरवरी 2007/जुलाई 2013 को अनुदेश/दिशानिर्देश जारी करने के बावजूद ए.एज द्वारा मामलों की समीक्षा करते समय उनका अनुसरण नहीं किया जा रहा था।
(अनुच्छेद 2.2.12.2)
- रिटर्न फाईल न करने के लिए पेनल्टी के उद्ग्रहण, उचित प्रोफार्मा (वैट ए-4) में रिफंड आवेदन प्राप्त करने, फार्म सी में बेची गई/खरीदी गई मदों की शब्दावली का वर्णन करने, संपूर्ण सी-4, वैट डी-2/एच फार्मों को स्वीकार करने से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया था। आगे, मांग एवं संग्रहण रजिस्टर का अनुरक्षण न करने, कर-निर्धारण आदेशों/मांग नोटिसों को देरी से जारी करने तथा मामलों के पुनः कर-निर्धारण में विलंब के परिणामस्वरूप ₹ 16.46 करोड़ के कर की कम वसूली हुई।
{अनुच्छेद 2.2.12.2 (क-ड.) तथा 2.2.12.3 }


2.2.2 प्रस्तावना

हरियाणा सरकार ने मूल्य वर्धित कर (वैट) अप्रैल 2003 से आरंभ किया। हरियाणा मूल्य वर्धित कर (एच.वी.ए.टी.) अधिनियम, 2003 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियम (एच.वी.ए.टी. नियम, 2003) हरियाणा में बिक्री के प्रत्येक बिंदु पर मूल्य वर्धित कर (वैट) के उद्ग्रहण एवं संग्रहण का प्रावधान करते हैं। वैट, आरंभिक चरण पर भुगतान किए गए कर पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई.टी.सी.) की अनुमति के लिए प्रावधान के साथ, मूल्य वर्धन चैन के प्रत्येक चरण पर उद्गृहीत एक बहुचरणीय कर है, जिसका विनियोजन परवर्ती बिक्री पर वैट देयता के विरुद्ध किया जा सकता है। वैट, राज्य राजस्व का मुख्य हिस्सा संघटित करता है। कर-निर्धारण का कर संग्रहण तथा कर प्रबंध की गुणवत्ता पर सीधा प्रभाव होता है। मामलों के कर-निर्धारण के लिए मापदंड राज्य सरकार द्वारा नियत किया गया है।

2.2.3 संगठनात्मक ढांचा

अधिनियम एवं नियमों के नियंत्रण एवं कार्यान्वयन के लिए विभागीय स्तर पर ई.टी.सी., हरियाणा तथा सरकारी स्तर पर अपर मुख्य सचिव (ए.सी.एस.), हरियाणा सरकार, आबकारी एवं कराधान विभाग उत्तरदायी हैं। ई.टी.सी. की सहायता के लिए नौ ए.ई.टी.सी.ज, जे.ई.टी.सी.ज, मुख्यालय तथा जिला स्तर पर डी.ई.टी.सी.ज, ई.टी.ओज, कराधान इन्सपैक्टर तथा अन्य अधिकारी/कर्मचारी होते हैं।

आबकारी एवं कराधान विभाग का संगठनात्मक ढांचा



2.2.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा यह निर्धारित करने के लिए की गई थी क्या:

- मामलों के चयन के लिए कर-निर्धारण मानदंड राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है, यदि ऐसा है तो चयन निर्धारित मानदंड के अनुसार किया गया था;
- कर-निर्धारण, अधिनियम, नियमों तथा आदेशों के प्रावधानों के अनुसार किए जाते हैं; तथा
- विभाग में आंतरिक नियंत्रण यंत्रावली की पर्याप्त प्रणाली विद्यमान है।

2.2.5 कार्यक्षेत्र तथा पद्धति

राज्य में 23 उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (बिक्री कर) {(डी.ई.टी.सी. (एस.टी.)}, कार्यालयों में से आठ डी.ई.टी.सी. (एस.टी.)¹ कार्यालयों में 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान किए गए कर-निर्धारणों से संबंधित अभिलेखों की दिसंबर 2014 तथा मई 2015 के मध्य नमूना-जांच की गई थी जो रिप्लेसमेंट के साथ साइज से अनुपातिक संभाव्यता के आधार पर चयन किए गए थे। इसके अतिरिक्त 11 डी.ई.टी.सी. (एस.टी.)² कार्यालयों के संबंध में 2012-13 से 2014-15 के दौरान जारी रिफंड्स की जांच के परिणाम तथा अन्य डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) कार्यालयों की लेखापरीक्षा के दौरान अवलोकित मामले भी निष्पादन लेखापरीक्षा में शामिल किए गए हैं। एंटी काफ्रेंस के दौरान विभाग द्वारा जैसा चाहा गया था, 2014-15 के दौरान निर्धारित कुछ मामलों की भी नई संवीक्षा मानदंड³ के अंतर्गत नमूना-जांच की गई है।

अपर मुख्य सचिव, (ए.सी.एस.), हरियाणा सरकार, आबकारी एवं कराधान विभाग के साथ एक एंटी काफ्रेंस आयोजित की गई (जनवरी 2015) जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्य, लेखापरीक्षा मानदंड तथा जिलों के चयन के लिए अपनाई गई पद्धति पर व्याख्या/चर्चा की गई। प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, विभाग तथा सरकार को अगस्त 2015 में टिप्पणी के लिए भेजा गया। ए.सी.एस., हरियाणा सरकार, आबकारी एवं कराधान विभाग, ई.टी.सी., ई.टी.सी.जी तथा अन्य अधिकारियों के साथ 28 अक्टूबर 2015 को एक एग्जिट काफ्रेंस आयोजित की गई। आगे, 26 नवंबर 2015 को भी चर्चा की गई थी। विभाग/सरकार के विचार निष्पादन लेखापरीक्षा में सही ढंग से शामिल किए गए हैं। लेखापरीक्षा सरल करने के लिए आवश्यक सूचना तथा रिकार्ड प्रदान करने में आबकारी एवं कराधान विभाग के सहयोग के लिए हम आभार प्रकट करते हैं।

¹ अंबाला, फरीदाबाद (पश्चिम), गुड़गांव (पश्चिम), जगाधरी, झज्जर, जींद, सिरसा तथा सोनीपत।

² अंबाला, फरीदाबाद (पूर्व), फरीदाबाद (पश्चिम), फतेहाबाद, गुड़गांव (पूर्व), गुड़गांव (पश्चिम), कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, सिरसा तथा सोनीपत।

³ कार्य को सुचारू रूप से चलाने तथा कर-निर्धारण जांच को प्रभावी बनाने हेतु विभाग ने एच.वी.ए.टी. नियमों के नियम 27 में दिए गए अनुसार निश्चित श्रेणियों को छोड़ने के बाद संवीक्षा मामलों की संख्या कम करके 5000 कर दी (16 जुलाई 2013)।

2.2.6 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड निम्न स्रोतों से लिए गए हैं:

- एच.वी.ए.टी. अधिनियम एवं नियम, 2003 तथा उनके अधीन किए गए संशोधन;
- सी.एस.टी. अधिनियम, 1956 उसके अधीन बनाए गए नियम;
- सरकार/विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेश/अधिसूचनाएं; तथा
- माननीय न्यायालयों/ट्रिब्यूनल के निर्णय/आदेश।

प्रणाली कमियां

2.2.7 कंप्यूटरीकरण

वैट के सूत्रपात में बेहतर कर प्रशासन के लिए कर अभिलेखों, पंजीकरण विवरणों तथा घोषणा फार्मों के निर्गम इत्यादि का कंप्यूटरीकरण करने पर विचार किया गया। लेखापरीक्षा में यह देखा गया था कि राज्य में वैट के सूत्रपात के 12 वर्ष बीत जाने के बाद भी विभाग में कंप्यूटरीकरण का न्यूनतम स्तर भी विद्यमान नहीं था। विभाग में कंप्यूटरीकरण प्रशासनिक कार्य, डीलरों, ठेकेदारों तथा व्यापारियों इत्यादि के डाटाबेस रखने तक सीमित है जबकि कर-निर्धारण से संबंधित मुख्य कार्य, अर्थात् क्रय/विक्रय संपादनों, जमा किए गए कर का सत्यापन, अवैध आई.टी.सी. का पता लगाना आदि, अन्य जिलों/राज्यों को पत्र जारी करने के माध्यम से मैन्युअली किए जा रहे थे। परिणामस्वरूप, ई.टी.सी. हरियाणा को एक वर्ष में एक अकेले वैट डीलर से ₹ एक लाख से अधिक योग वाले सभी क्रय/विक्रय संपादनों के मैन्युअल क्रास सत्यापन के लिए मार्च 2006 तथा जुलाई 2013 में निर्देश जारी करने पड़े। इससे बचा जा सकता है यदि राष्ट्रीय नेटवर्क कर सूचना विनिमय प्रणाली (टी.आई.एन.एक्स.एस.वाई.एस.) को जोड़ने के माध्यम से लेन-देनों/घोषणा फार्मों की यथार्थता का सत्यापन करने के लिए बिक्रियों/क्रयों से संबंधित सूचना, घोषणा फार्मों के निरस्तीकरण इत्यादि को अपलोड करने के लिए कंप्यूटरीकृत प्रणाली आरंभ की गई होती। ऐसी कंप्यूटरीकृत प्रणाली की कमी ने विभाग को प्रभावी कर प्रबंध एवं प्रशासन में बाधित किया है। यह मामला 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में भी इंगित किया गया था।

दिसंबर 2014 तथा मई 2015 के मध्य, आठ डी.ई.टी.सीज (एस.टी.)⁴ के कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान, यह पाया गया कि 77 मामलों में वैट डीलरों से ₹ 740.32 करोड़ की खरीद पर ₹ 40.59 करोड़ के आई.टी.सी. का लाभ 2009-10 से 2013-14 वर्षों के दौरान क्रय/विक्रय लेन-देनों के क्रास सत्यापन के बिना अनुमत कर दिया।

यद्यपि वैट के प्रारंभ के बाद कंप्यूटरीकरण अनिवार्य था, मुख्यतः अपर्याप्त कंप्यूटरीकरण के कारण विभागीय यंत्रावली, मामलों का शीघ्र निपटान करने, जाली/अविद्यमान डीलरों को दूढ़ने, अवैध क्रय/विक्रय लेन-देनों, जमा किए गए कर के सत्यापन, आई.टी.सी. के कपटपूर्ण दावों तथा जाली फार्मों का पता लगाने इत्यादि में विफल रही, जैसाकि अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

एग्जिट काफ्रेंस के दौरान, विभाग ने बताया कि कंप्यूटरीकरण पर कार्य चल रहा है तथा शीघ्र पूर्ण कर दिया जाएगा।

⁴ अंबाला, फरीदाबाद (पश्चिम), गुडगांव (पश्चिम), जगाधरी, झज्जर, जींद, सिरसा तथा सोनीपत।

2.2.8 पंजीकरण प्रमाण-पत्र (आर.सी.) के रद्द करने के अतिरिक्त कर-निर्धारण के अंतिमकरण के लिए प्रावधान का अभाव

एच.वी.ए.टी. नियमों के नियम 14 में आर.सी. के रद्द करने की प्रक्रिया का प्रावधान है तथा डीलर से आर.सी. रद्द करने के आवेदन सहित विभाग से प्राप्त किए गए प्रयुक्त एवं अप्रयुक्त घोषणा फार्मों को सरेंडर करना अपेक्षित है। तथापि, आर.सी. रद्द करने के अतिरिक्त कर-निर्धारण के अंतिमकरण के संबंध में अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं था।

अप्रैल 2015 में डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) सिरसा के कार्यालय के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान यह पाया गया कि दो डीलरों ने क्रमशः 31 मार्च 2014 तथा 1 नवंबर 2014 से अपना व्यापार बंद कर दिया था तथा आर.सी. रद्द करवाने के लिए आवेदन दिए (अप्रैल 2014 / नवंबर 2014)। ए.ए. ने अप्रयुक्त घोषणा-पत्र वापस प्राप्त किए बिना अथवा कर-निर्धारण अंतिम किए बिना आर.सी. रद्द कर दिए (नवंबर 2014 / फरवरी 2015)। आगे, यह देखा गया कि 2013-14 के दौरान डीलरों ने ₹ 83.45 करोड़ मूल्य की सिगरेटों के विक्रय के टर्नओवर से आवेष्टित अपनी रिटर्नस फाईल की थी। आर.सी. के रद्द करने के अतिरिक्त कर-निर्धारणों के अंतिमकरण न करने के परिणामस्वरूप ₹ 17.52 करोड़ (21 प्रतिशत की दर पर) के कर की वसूली नहीं हुई। यदि आर.सी. के रद्द करने के अतिरिक्त कर-निर्धारणों के अंतिमकरण के लिए प्रावधान किया गया होता, डीलरों से ₹ 17.52 करोड़ की राशि की वसूली की जा सकती थी।

एग्जिट काफ्रेंस के दौरान, विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति स्वीकार की तथा बताया कि कर-निर्धारण यथाशीघ्र अंतिम कर लिया जाएगा तथा अधिनियम में आवश्यक प्रावधान कर दिया जाएगा। विभाग ने यह भी बताया कि कर-निर्धारण प्राधिकारियों को कुछ समय में निर्देश जारी किए जाएंगे।

2.2.9 निर्माण ठेकेदारों का अपंजीकरण

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 48 के अंतर्गत कर-निर्धारण प्राधिकारी किसी कार्यवाही से संबंधित अन्य विभागों/निगम/व्यक्तियों से अथवा कर प्रबंध के लिए उपयोगी सूचना/डाटाबेस की मांग कर सकता है तथा धारा-16 में अपंजीकृत डीलरों के कर-निर्धारण के दौरान नियत किए गए कर के बराबर कर तथा पेनल्टी के उद्ग्रहण का प्रावधान है।

पांच डी.ई.टी.सी. (एस.टी.)⁵ के कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान, यह पाया गया कि विभाग ने अपंजीकृत डीलरों तथा कर के अपवंचन का पता लगाने के लिए अन्य विभागों के पास उपलब्ध सूचना के क्रास सत्यापन के लिए कोई प्रणाली नहीं बनाई थी।

आगे, लेखापरीक्षा ने 11 कार्यालयों⁶ से एकत्रित सूचना का क्रास सत्यापन किया तथा पाया कि 605 अपंजीकृत डीलरों (निर्माण ठेकेदारों) ने पंजीकरण के लिए कर-योग्य टर्नओवर की अंतिम सीमा पार की थी क्योंकि उन्होंने 2009-10 से 2013-14 के दौरान ठेका कार्यों के निष्पादन के लिए भुगतान प्राप्त किए थे परंतु अपने आप को एच.वी.ए.टी. अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत नहीं करवाया। अन्य विभागों से सूचना, जो अपंजीकृत डीलरों की पहचान, पंजीकरण तथा निर्धारण करने की प्रक्रिया को सुगम बनाती, के संग्रहण हेतु प्रणाली स्थापित

⁵ फरीदाबाद (पश्चिम), गुड़गांव (पश्चिम), जगाधरी, झज्जर तथा सोनीपत।

⁶ नगर परिषद/निगम (एम.सी.): बहादुरगढ़, फरीदाबाद, गुड़गांव, सोनीपत, यमुनानगर, कार्यकारी अभियंता (का.अ.), हरियाणा राज्य विपणन बोर्ड (एच.एस.ए.एम.बी.): बहादुरगढ़, फरीदाबाद, गुड़गांव, सोनीपत, यमुनानगर, तथा कार्यकारी अभियंता हाउसिंग बोर्ड: गुड़गांव।

करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 35.66 करोड़ की पेनल्टी के अतिरिक्त ₹ 35.66 करोड़ के कर की वसूली नहीं हुई।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया तथा अन्य ठेके देने वाले विभागों के साथ सलाह करके निर्माण ठेकेदारों का पंजीकरण अनिवार्य करने हेतु कहा।

2.2.10 संवीक्षा मामलों का चयन मापदंड

(i) एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा-15 के साथ पठित नियम 27 के अंतर्गत राज्य सरकार ने कर-निर्धारण का मापदंड निर्धारित किया है। एक वर्ष में ₹ 500 लाख से अधिक सकल टर्नओवर वाले, ₹ 10 लाख से अधिक आई.टी.सी. का दावा, ₹ तीन लाख से अधिक रिफंड का दावा, एक वर्ष में अंतर्राज्यीय व्यापार के दौरान किए गए विक्रयों का दावा तथा ₹ 25 लाख से अधिक माल का निर्यात, कोई कर रियायत लेने वाली औद्योगिक इकाइयों के मामले, सकल टर्नओवर में कमी के मामले, लेखाओं के साथ मेल न खाने वाले माल के क्रय/विक्रय अथवा कनसाईनमेंट के दावे, कर के अपवचन के बारे निश्चित इटेलीजेंस पर आधारित मामले तथा आर.सी. इत्यादि रद्द करने के मामले संवीक्षा के लिए, लिए जाने हैं। अन्य सभी मामले अधिनियम की धारा 15 (1) के अंतर्गत कर-निर्धारित किए गए माने जाएंगे।

आठ डी.ई.टी.सी. (एस.टी.)⁷ कार्यालयों में, 2006-07 से 2010-11 तक कर-निर्धारण वर्षों के लिए संवीक्षा हेतु मापदंड के अनुसार 1,03,020 मामले चयन किए गए थे तथा 2009-10 से 2013-14 के दौरान कर-निर्धारित किए गए थे, जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

क्र. सं.	श्रेणियां	2009-10 (2006-07)	2010-11 (2007-08)	2011-12 (2008-09)	2012-13 (2009-10)	2013-14 (2010-11)	योग
1	₹ 500 लाख से अधिक जी.टी.ओ.	1,913	2,087	1,704	2,699	2,935	11,338
2	एक साल में ₹ 10 लाख से अधिक इनपुट कर का दावा	1,522	1,492	1,415	1,896	2,177	8,502
3	₹ तीन लाख से अधिक रिफंड का दावा	84	27	22	62	60	255
4	एक साल में ₹ 50 लाख से अधिक आई.एस.एस.	2,474	2,790	2,225	3,343	3,780	14,612
5	जी.टी.ओ. या कर के भुगतान में 20 प्रतिशत से अधिक कमी	2,341	1,989	1,798	1,587	1,455	9,170
6	लोहा तथा स्टील के व्यापार में लगे डीलर	769	551	364	881	799	3,364
7	रिटर्नस का पूर्ण न करना	3,672	4,052	5,047	3,677	4,807	21,255
8	अन्य	5,102	5,612	10,520	6,327	6,963	34,524
	योग	17,877	18,600	23,095	20,472	22,976	1,03,020

1,03,020 संवीक्षा मामलों में से 2,275 मामलों की दिसंबर 2014 तथा मई 2015 के मध्य सभी श्रेणियों से नमूना-जांच की गई थी तथा परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में शामिल किए गए हैं:

(ii) संवीक्षा मामलों की संख्या में कमी

कर-निर्धारण वर्ष 2010-11 तक, औसतन 50,000 मामलों का प्रत्येक वर्ष संवीक्षा के अंतर्गत कर-निर्धारण करवाया जा रहा था। कार्य को सुचारू बनाने के लिए तथा संवीक्षा कर-निर्धारण को प्रभावी बनाने के लिए विभाग ने श्रेणियों जैसे (क) एक साल में ₹ पांच सौ लाख से अधिक सकल टर्नओवर (जी.टी.ओ.), (ख) वर्ष में ₹ दस लाख से अधिक इनपुट टैक्स का दावा, (ग) अन्तर्राज्यीय व्यापार तथा वाणिज्य के दौरान या भारत की सीमा के बाहर

⁷ अंबाला, फरीदाबाद (पश्चिम), गुड़गांव (पश्चिम), जगाधरी, झज्जर, जींद, सिरसा तथा सोनीपत।

माल के निर्यात के दौरान अथवा वर्ष में ₹ पच्चीस लाख से अधिक भारत की सीमा के अंदर माल के आयात के दौरान किए गए विक्रयों का दावा, (घ) रैंडम से चयन किए गए मामले, (ड) मामले जिनमें डीलर उसके लिए एक अवसर दिए जाने के बाद सामग्री विवरणों में रिटर्नस पूरा करने में विफल रहता है तथा पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द करने के मामलों को छोड़कर संवीक्षा के लिए मामलों की संख्या कम करने का निर्णय लिया (16 जुलाई 2013)। राज्य सरकार ने संपूर्ण राज्य के लिए वार्षिक रूप से मामलों की संवीक्षा के लिए अधिकतम संख्या 5,000 तक निश्चित कर दी, इसके अतिरिक्त ए.ए.ज अपनी पसंद के 10-15 मामले चुन सकते हैं। प्रत्येक जिले के डी.ई.टी.सी. की अध्यक्षता में एक समिति द्वारा जिला-वार मामलों का चयन किया जाना था। आगे, कर के वास्तविक भुगतान के चरण तक 100 प्रतिशत सत्यापन के बाद आई.टी.सी. अनुमत किया जाना था। इस पर बल दिया गया कि संवीक्षा मामले दिनांक 14 मार्च 2006 तथा 16 जुलाई 2013 के निर्देशों के अनुसार कड़ाई से संव्यवहार किए जाने थे।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि चयन मापदंड सही नहीं था क्योंकि चयन न्यायोचित नहीं हो सका क्योंकि 10-15 मामलों का चयन ए.ए.ज द्वारा उनकी इच्छा तथा प्रत्येक जिले के डी.ई.टी.सी. की अध्यक्षता में एक समिति के द्वारा किया जाना था। इस प्रकार, यह ए.ए.ज तथा डी.ई.टी.सी. की इच्छा पर छोड़ दिया गया था कि किसी मामले का चयन करें या न करें। चयन करने के लिए कोई निष्पक्ष मापदंड नहीं निर्धारित नहीं किए गए थे तथा यह पिक एंड चूज पद्धति स्वनिर्णय के दुरुपयोग के जोखिम से आलिप्त थी। छः डी.ई.टी.सीज (एस.टी.)⁸ के कार्यालयों के 105 मामलों की संवीक्षा ने नीचे तालिकाबद्ध अनियमितताओं के अनुसार संवीक्षा निर्धारण की गुणवत्ता में कोई प्रभावकारिता तथा सुधार प्रकट नहीं किया: -

2014-15 के दौरान निर्धारित संवीक्षा मामलों के निर्धारण में अनियमितताएं

क्र. सं.	डी.ई.टी.सी. का नाम	कर/ब्याज			अनियमितताओं की प्रकृति/टिप्पणी
		उद्ग्रहणीय	उद्गृहीत	कम उद्गृहीत	
1	जगाधरी	12.20	0	12.20	एक मामले में कर-निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए देय कर के विरुद्ध ₹ 12.20 लाख स्वेच्छा से जमा करवाए गए तथा उन्हीं बैंक चालानों पर जमा कर की वही राशि कर-निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए निर्धारित कर के विरुद्ध समायोजित की गई।
2	गुडगांव (पश्चिम) तथा जगाधरी	29.26	0	29.26	तीन मामलों {गुडगांव (पश्चिम) (1); जगाधरी (2)} में कर के कम भुगतान पर ₹ 29.26 लाख का ब्याज उद्गृहीत नहीं किया गया था।
3	गुडगांव (पश्चिम) तथा जगाधरी	159.87	131.56	28.31	तीन मामलों में कर की गलत दर लागू करने के कारण ₹ 28.31 लाख का कर कम निर्धारित किया गया।
4	जगाधरी	3.82	0	3.82	कर के पांच प्रतिशत की दर पर सरचार्ज 2 अप्रैल 2010 से उद्ग्रहणीय था। दो मामलों में सरचार्ज उद्गृहीत नहीं किया गया था।
5	गुडगांव (पश्चिम), जगाधरी तथा सोनीपत	90.58	0	90.58	सात मामलों में, ए.ए.ज ने स्टॉक अंतरण/कर-मुक्त विक्रय पर आई.टी.सी. कम रिवर्स किया था।
6	जगाधरी	39.52	0	39.52	दो मामलों में, ए.ए. ₹ 1.67 करोड़ की विविध आय तथा ₹ 1.35 करोड़ की अभ्यर्पित आय पर कर उद्गृहीत करने में विफल रहे।
7	अंबाला, फरीदाबाद (पश्चिम), गुडगांव (पश्चिम), जगाधरी, झज्जर तथा सोनीपत	0	0	0	कर के वास्तविक भुगतान के चरण तक क्रयों/विक्रयों के 100 प्रतिशत सत्यापन के लिए स्पष्ट मार्गनिर्देशों/निर्देशों के बावजूद, ए.ए. ने 41 मामलों में क्रयों/विक्रयों के क्रास सत्यापन के बिना आई.टी.सी. का लाभ अनुमत कर दिया।

⁸ अंबाला, फरीदाबाद (पश्चिम), गुडगांव (पश्चिम), जगाधरी, झज्जर तथा सोनीपत।

पूर्ववर्ती प्रणाली के अंतर्गत नमूना-जांच किए गए 2,275 मामलों में से 182 मामलों (आठ प्रतिशत) में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां उठाई गई थी जबकि (2014-15 के दौरान निर्धारित कर-निर्धारण वर्ष 2011-12 से संबंधित) नमूना-जांच किए गए 105 मामलों में से 48 मामलों (46 प्रतिशत) में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां उठाई गई थी। इस प्रकार, कर-निर्धारण की संख्या 50,000 से 5,000 तक कम करने के बाद भी कर-निर्धारण में कोई सुधार नहीं देखा गया था। इसके अतिरिक्त, नई प्रणाली में देखी गई लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां चयन की पिछली प्रणाली की अभ्युक्तियों के समान थी।

एगिजट काफ्रेंस के दौरान, विभाग सभी मामलों में क्रयों/विक्रयों तथा कर के भुगतान के क्रास सत्यापन के लिए सभी फील्ड कार्यालयों को मार्गनिर्देश जारी करने के लिए सहमत हो गया।

अनुपालन कमियां

ए.एज द्वारा मामलों का कर-निर्धारण वर्तमान नियमों तथा विनियमों के संदर्भ में किया जाना अपेक्षित था। अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि कर-निर्धारण अंतिम करते समय अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों की अनुपालना नहीं की गई जैसाकि नीचे चर्चा की गई है:

2.2.11.1 कर की गलत दर लागू करने के कारण कर का अवनिर्धारण/ अनियमित रिफंड

एच.वी.ए.टी. अधिनियम, 2003 के अंतर्गत दरें ए से जी तक सूची के अनुसार निर्धारित की गई हैं। तथापि, अधिनियम की धारा 7 (1) (ए) (iv) के अंतर्गत, किसी सूची में वर्गीकृत वस्तुओं से अन्य कोई वस्तु, जुलाई 2005 से प्रभावी 12.5 प्रतिशत की दर पर कर योग्य है। 2 अप्रैल 2010 से कर की 5 प्रतिशत की दर पर सरचार्ज भी उद्ग्रह्य था। कर के भुगतान में चूक के मामले में धारा 14 (6) के अंतर्गत आगे ब्याज भी उद्ग्रहणीय है।

अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत वैट डीलर को, माल से संबंधित में कर के संबंध में इनपुट टैक्स का रिफंड स्वीकार्य होगा जो भारत की सीमा से बाहर माल के निर्यात के दौरान बेचा गया है या राज्य के भीतर या अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य में निम्नतर दर पर बेचे माल पर कर की दर के अंतर के कारण है।

लेखापरीक्षा ने देखा (जनवरी 2013 तथा मई 2015 के मध्य) कि 16 डी.ई.टी.सी. (एस.टी.)⁹ में 49 मामलों में डीलरों ने 2008-09 तथा 2012-13 के मध्य ₹ 235.50 करोड़ मूल्य की अवर्गीकृत मर्चें अर्थात् भवन सामग्री, मशीनी पुर्जे, पनीर, अस्पताल उपकरण, साबुन, नूडल्ज इत्यादि बेचे थे। फरवरी 2012 तथा दिसंबर 2014 के मध्य कर-निर्धारण अंतिम करते समय, ए.एज ने चार/पांच तथा 12.5 प्रतिशत के कर की लागू दर की बजाय शून्य से चार/पांच प्रतिशत की दर पर कर उद्ग्रहण किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 14.98 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ। इसके अतिरिक्त सात मामलों में ₹ 92 लाख के अनियमित रिफंड जारी किए गए थे।

एगिजट काफ्रेंस के दौरान, विभाग ने सभी मामलों में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति स्वीकार की।

⁹ अंबाला, फरीदाबाद (पूर्व), फरीदाबाद (पश्चिम), गुड़गांव (पूर्व), गुड़गांव (पश्चिम), जगाधरी, झज्जर, जींद, हिसार, कैथल, करनाल, पंचकुला, पानीपत, पलवल, सिरसा तथा सोनीपत।

2.2.11.2 जाली फार्मों के विरुद्ध लाभ अनुमत करने के कारण अवनिर्धारण

सी.एस.टी. अधिनियम की धारा 5(3), 6ए तथा 8(4) में क्रमशः घोषणा फार्म एच, एफ तथा सी के विरुद्ध किए गए विक्रयों पर कर की शून्य/रियायती दर के उद्ग्रहण का प्रावधान है। एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 38 के अंतर्गत कर के भुगतान से बचने के लिए गलत दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए पेनल्टी उद्ग्रहणीय है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि नौ डी.ई.टी.सीज (एस.टी.)¹⁰ कार्यालयों में 16 डीलरों ने घोषणा फार्मों सी, एफ तथा एच के विरुद्ध ₹ 37.91 करोड़ मूल्य के माल की बिक्री/अंतरण पर कर की रियायती दर का दावा किया (2006-07 से 2011-12) तथा सितंबर 2009 तथा मार्च 2014 के मध्य कर-निर्धारणों को अंतिम करते समय ए.ए.ज द्वारा सौदों/फार्मों के सत्यापन, जैसा कि मार्च 2006 में जारी निर्देशों के अंतर्गत अपेक्षित था, के बिना इसकी अनुमति दे दी गई। लेखापरीक्षा द्वारा टी.आई.एन.एक्स.एस.वाई.एस. तथा जारीकर्ता कार्यालयों से क्रास सत्यापन पर ₹ 4.41 करोड़ के कर से आवेष्टित ₹ 37.91 करोड़ मूल्य के फार्म उक्त कार्यालयों द्वारा जारी किए नहीं पाए गए। इस प्रकार, जाली सी, एफ तथा एच घोषणा फार्मों के विरुद्ध लाभ अनुमत करने के परिणामस्वरूप एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 38 के अंतर्गत उद्ग्रहण ₹ 13.23 करोड़ की पेनल्टी के अतिरिक्त ₹ 4.41 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

एग्जिट काफ्रेंस के दौरान, विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति स्वीकार की तथा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

2.2.11.3 विक्रयों/क्रयों के छिपाव के कारण कर का अपवंचन तथा इन पर पेनल्टी उद्ग्रहण में विफलता

एस.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 38 में प्रावधान है कि यदि कोई डीलर कर भुगतान से बचने के लिए झूठे लेखे रखता है या गलत लेखे, रिटर्नज या दस्तावेज प्रस्तुत करता है तो ए.ए. अपवंचित/बचाए गए कर के अतिरिक्त पेनल्टी (तीन गुणा) उद्ग्रहीत कर सकता है।

(i) डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) सिरसा तथा भिवानी के कार्यालयों के अभिलेखों से लेखापरीक्षा ने देखा (मार्च 2011 तथा दिसंबर 2014 के मध्य) कि सिरसा जिला के सात डीलरों ने फार्म सी में घोषणा के विरुद्ध ₹ 13.11 करोड़ मूल्य के विक्रय पर रियायती दर पर कर का भुगतान किया। जांच पर, विभाग ने पाया कि माल का वास्तविक लेन-देन नहीं हुआ था। बाद में, आर.ए. ने उक्त विक्रयों पर कर की पूर्ण दर उद्ग्रहीत की तथा ₹ 2.49 करोड़ की अतिरिक्त मांग सृजित की परंतु ₹ 7.47 करोड़ की पेनल्टी उद्ग्रहण करने में विफल रहे। आगे, भिवानी जिले के दो डीलरों ने विक्रीत माल का अवमूल्यन करके ₹ 22.48 करोड़ के विक्रय को छिपाया था। मार्च 2010 में कर-निर्धारण अंतिम करते समय ए.ए. ने विक्रय के छिपाए गए मूल्य पर कर उद्ग्रहीत किया परंतु ₹ 8.43 करोड़ की पेनल्टी उद्ग्रहण करने में विफल रहे तथा पेनल्टी के अनुद्ग्रहण के लिए आदेश में कुछ भी वर्णित नहीं था।

(ii) लेखापरीक्षा ने देखा (अप्रैल 2015) कि डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) फतेहाबाद, फरीदाबाद (पश्चिम) तथा गुड़गांव (पश्चिम) के अंतर्गत चार डीलरों ने 2005-06 से 2010-11 के दौरान झूठी रिटर्नस/वैट सी-4 प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करके ₹ 10.51 करोड़ की अमान्य खरीदों पर ₹ 72.28 लाख के मूल्य के आई.टी.सी. के लाभ का दावा किया। मार्च 2012 तथा

¹⁰ अंबाला, फरीदाबाद (पूर्व), गुड़गांव(पश्चिम), झज्जर, जींद, हिसार, करनाल, सिरसा तथा जगाधरी।

मार्च 2014 के मध्य कर-निर्धारण अंतिम करते समय, ए.एज ने आई.टी.सी. के दावे की अनुमति नहीं दी परंतु ₹ 2.17 करोड़ की पेनल्टी उद्ग्रहण करने में विफल रहे।

(iii) लेखापरीक्षा ने देखा कि चार डी.ई.टी.सी. (एस.टी.)¹¹ के अंतर्गत छः डीलरों ने ₹ 22.37 करोड़ मूल्य के विक्रयों/क्रयों को छिपाया था तथा ₹ 1.25 करोड़ के कर का भुगतान बचाया था। मार्च 2011 तथा नवंबर 2013 के मध्य कर-निर्धारण फाईनल करते समय ए.एज ₹ 3.75 करोड़ की पेनल्टी के अतिरिक्त ₹ 1.25 करोड़ का कर उद्ग्रहण करने में विफल रहे यद्यपि, छिपाने की सूचना फाईल में उपलब्ध थी।

एग्जिट काफ्रेंस के दौरान, विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति स्वीकार की तथा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

2.2.11.4 कर/ब्याज/सरचार्ज का उद्ग्रहण न करने के कारण अवनिर्धारण तथा कर रियायत के अधिक लाभ की अनुमति

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत एक पंजीकृत डीलर कर के भुगतान के बाद हरियाणा के वैट डीलरों से माल की खरीद पर आई.टी.सी. के लाभ के लिए अधिकृत है। वर्ष के अंत पर क्लोजिंग स्टॉक में आवेष्टित आई.टी.सी. अगले वर्ष में कैरी-फारवर्ड किया जाता है। इनपुट टैक्स (कैरिड-फारवर्ड) तथा क्लोजिंग स्टॉक एक दूसरे के अनुरूप होने चाहिए।

सरकार ने स्पष्ट किया कि 8 अप्रैल 2011 से प्रभावी बुने हुए तथा कढ़ाई किए गए वस्त्रों पर 12.5 प्रतिशत की दर पर कर उद्ग्रहण है। सभी किस्मों की पाइपें 14 फरवरी 2010 तक चार प्रतिशत तथा उसके बाद 5 प्रतिशत की दर पर कर योग्य हैं। एस.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 14 (6) में कर के देरी से/कम भुगतान पर ब्याज उद्ग्रहण का प्रावधान है। सरकार ने 10 फरवरी 2014 को स्पष्ट कर दिया था कि ठेकेदार, जिन्होंने कर की एवज में एकमुश्त भुगतान करने का विकल्प दिया था, की धारा 7 ए के अंतर्गत सरचार्ज के भुगतान के लिए दायी हैं। एच.वी.ए.टी. नियमों के नियम 69(2) के साथ पठित धारा 61 के अंतर्गत एक औद्योगिक इकाई यदि रिटर्नस के साथ देय कर का पचास प्रतिशत भुगतान करती है तो उसे कर के पूर्ण भुगतान तथा लाभ प्राप्त के रूप में माना जाएगा।

लेखापरीक्षा ने देखा कि ए.एज ने कर के कैरी-फारवर्ड को गलत परिकलित किया, कर मुक्त विक्रय की गलत कटौती, कर रियायत के अधिक लाभ की अनुमति दी तथा ₹ 0.04 करोड़ के अनियमित रिफंड के अलावा ₹ 55 करोड़ के ब्याज तथा सरचार्ज का उद्ग्रहण नहीं किया जैसा कि नीचे तालिकाबद्ध है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	डी.ई.टी.सीज की संख्या	डीलरों की संख्या	कर-निर्धारणों के वर्ष	राशि	अनियमितताओं की प्रकृति
1	6 ¹²	54	2008-09 से 2013-14	₹ 20.48 करोड़	डीलरों द्वारा गलत लेखाओं के प्रस्तुतिकरण के कारण ए.ए. ने कर का गलत कैरीफारवर्ड परिकलित किया तथा धारा 38 के अंतर्गत कर तथा पेनल्टी का उद्ग्रहण करने में विफल रहा। इसके परिणामस्वरूप

¹¹ अंबाला, फरीदाबाद (पूर्व), सिरसा तथा सोनीपत।

¹² फरीदाबाद (पूर्व), फतेहाबाद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र तथा सोनीपत।

क्र. सं.	डी.ई.टी.सीज की संख्या	डीलरों की संख्या	कर-निर्धारणों के वर्ष	राशि	अनियमितताओं की प्रकृति
					₹ 20.48 करोड़ के कर तथा पेनल्टी का अनुद्ग्रहण हुआ।
2	5 ¹³	6	2010-11 से 2012-13	₹ 3.47 करोड़	ए.ए. ने करमुक्त बिक्री की गलत छूट अनुमत की तथा एम्ब्राइड्ड फैब्रिक्स एवं एच.डी.पी.ई. पाइपों की बिक्री पर कर उद्ग्रहण करने में विफल रहा परिणामस्वरूप ₹ 3.47 करोड़ के कर का अनुद्ग्रहण हुआ।
3	8 ¹⁴	14	2006-07 से 2011-12	₹ 4.05 करोड़	ए.एज कर के कम भुगतान {धारा 14 (6) के अंतर्गत} तथा अतिरिक्त मांग के देशी से भुगतान {धारा 23 (1) के अंतर्गत} पर ब्याज उद्ग्रहण करने में विफल रहे परिणामस्वरूप ₹ 4.05 करोड़ के ब्याज का अनुद्ग्रहण हुआ।
4	8 ¹⁵	15	2010-11 से 2011-12	₹ 0.31 करोड़	ए.एज ₹ 0.31 करोड़ के सरचार्ज का उद्ग्रहण करने में विफल रहे तथा अतिरिक्त रूप से ₹ 0.04 करोड़ का अनियमित रिफंड अनुमत किया।
5	1 ¹⁶	1	2007-08 एवं 2008-09	₹ 29.69 करोड़	ए.ए. ने ₹ 53.38 करोड़ के 100 प्रतिशत के विरुद्ध कर रियायत के लाभ का 50 प्रतिशत परिगणित किया परिणामस्वरूप डीलर को ₹ 26.69 करोड़ की कर रियायत का अधिक लाभ हुआ।
	कुल	90		₹ 55.00 करोड़	

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, विभाग ने लेखापरीक्षा अभियुक्तियों को स्वीकार किया तथा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

2.2.11.5 आई.टी.सी. के न/गलत रिवर्सल के कारण अवनिर्धारण/अधिक रिफंड

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 8 (1) के अंतर्गत यदि एक डीलर कर योग्य/कर मुक्त माल के विनिर्माण में माल (वैट भुगतान किया हुआ) का प्रयोग करता है या विनिर्मित माल का विक्रय से अनुमत्य अन्य तरीके से अंशतः निपटान करता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट आनुपातिक आधार पर अनुमत्य है।

(i) लेखापरीक्षा ने देखा कि 2008-09 से 2011-12 के दौरान 10 डी.ई.टी.सीज (एस.टी.)¹⁷ के अंतर्गत 28 डीलरों ने ₹ 1,864.41 करोड़ वैट के भुगतान के पश्चात् माल खरीदा तथा कर योग्य तथा कर मुक्त माल का विनिर्माण किया अथवा विनिर्मित माल का

¹³ अंबाला, गुड़गांव (पश्चिम), हिसार, झज्जर तथा सोनीपत।

¹⁴ अंबाला, फरीदाबाद (पश्चिम), गुड़गांव (पूर्व), गुड़गांव (पश्चिम), जींद, रोहतक, सिरसा तथा सोनीपत।

¹⁵ अंबाला, झज्जर जगाधरी, फरीदाबाद (पूर्व), कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र तथा सिरसा।

¹⁶ गुड़गांव (पूर्व)।

¹⁷ अंबाला, फरीदाबाद (पश्चिम), फतेहाबाद, गुड़गांव (पूर्व), गुड़गांव (पश्चिम), जींद, कैथल, करनाल, सिरसा तथा सोनीपत।

विक्रय से अन्य तरीके से निपटान किया। तदनुसार, ₹ 15.49 करोड़ का आई.टी.सी. का अनुपातिक ढंग से रिवर्स किया जाना था जिसके विरुद्ध ए.एज ने नवंबर 2011 तथा जुलाई 2014 के मध्य केवल ₹ 9.88 करोड़ का आई.टी.सी. रिवर्स किया। इसके परिणामस्वरूप आई.टी.सी. का कम रिवर्सल तथा ₹ 5.61 करोड़ का अमान्य रिफंड हुआ।

(ii) राज्य के भीतर विक्रेता डीलरों द्वारा राज्य को भुगतान किए वैट के भुगतान के बाद वैट डीलरों से किए गए क्रयों पर आई.टी.सी. स्वीकार्य है। डीलरों द्वारा फाईल की गई लेखापुस्तकों/रिटर्नो तथा समाधान विवरणी के अनुसार क्रय स्वीकार किए जाते हैं।

लेखापरीक्षा ने देखा कि चार डी.ई.टी.सीज (एस.टी.)¹⁸ के अंतर्गत पांच डीलरों ने डीलरों द्वारा फाईल की गई वार्षिक रिटर्न (आर-2) के अनुसार ₹ 1.40 करोड़ की आई.टी.सी. का दावा किया, किंतु अक्टूबर 2010 तथा मार्च 2014 के मध्य कर-निर्धारण फाईनल करते समय ए.एज ने ₹ 1.40 करोड़ के स्वीकार्य आई.टी.सी. के विरुद्ध क्रयों के प्रमाण-पत्र (वैट/सी-4) के आधार पर ₹ 2.36 करोड़ का आई.टी.सी. अनुमत कर दिया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 96 लाख के आई.टी.सी. का अधिक लाभ अनुमत किया।

(iii) 21 मार्च 2013 को ई.टी.सी. द्वारा जारी दिशानिर्देश के अनुसार पेट्रोल/डीजल की वाष्पीकरण हानि पर आई.टी.सी. रिवर्स की जानी थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि छः डी.ई.टी.सीज (एस.टी.)¹⁹ के अंतर्गत 98 डीलरों ने 2009-10 से 2011-12 के दौरान पेट्रोल एवं डीजल क्रय किए तथा डीलरों द्वारा ₹ 3.63 करोड़ मूल्य का 3.16 लाख लीटर पेट्रोल तथा 6.23 लाख लीटर डीजल का वाष्पीकरण के रूप में हानि का दावा किया गया था। मार्च 2013 तथा मार्च 2014 के मध्य कर-निर्धारण फाईनल करते समय, ए.एज ने ₹ 0.50 करोड़ की आई.टी.सी. रिवर्स नहीं की थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.63 करोड़ की वाष्पीकरण हानि पर ₹ 0.50 करोड़ के आई.टी.सी. का अधिक लाभ अनुमत किया।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति स्वीकार की तथा अधिनियम/मार्गनिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

2.2.11.6 वैट डी-1/वैट डी-2 फार्म के दुरुपयोग के कारण अवनियमित रिफंड/अनियमित रिफंड

एच.वी.ए.टी. नियमों के नियम 21 के अंतर्गत एक वैट डीलर भारत से बाहर निर्यात के लिए फार्म वैट डी-2 (कर का भुगतान किए बिना) के विरुद्ध माल खरीद सकता है। आगे, एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 7 (5) के अंतर्गत यदि कोई डीलर किसी विनिर्दिष्ट उद्देश्य के लिए क्रय किए गए माल का प्रयोग करने में विफल रहता है तो अतिरिक्त कर तथा कर की अधिकतम डेढ़ गुणा पेनल्टी उद्ग्रहणीय है।

(क) लेखापरीक्षा ने देखा कि छः डी.ई.टी.सीज (एस.टी.)²⁰ के अंतर्गत 11 डीलरों ने 2008-09 से 2012-13 के दौरान निर्यात के प्रयोजन हेतु वैट डी-2 फार्म के विरुद्ध ₹ 196.15 करोड़ मूल्य के धान एवं बर्तन क्रय किए परंतु वे ऐसा करने में विफल रहे तथा ₹ 79.28 करोड़ मूल्य के कथित चावल/बर्तन वैट-डी. 2 के विरुद्ध आगे निर्यात के लिए

¹⁸ अंबाला, गुड़गांव (पश्चिम), झज्जर तथा जींद।

¹⁹ फतेहाबाद, हिसार, जींद, कुरुक्षेत्र, नारनौल तथा सिरसा।

²⁰ अंबाला, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, सिरसा तथा सोनीपत।

स्थानीय डीलरों को बेच दिए तथा धारा 7(5) के अंतर्गत दंड कार्रवाई के लिए दायी बन गए। तथापि, मार्च 2012 तथा अगस्त 2014 के मध्य कर-निर्धारणों को अंतिम करते समय ए.ए.ज ने वैट डी-2 के विरुद्ध निर्यात की कटौती अनुमत कर दी तथा धारा 7(5) के अंतर्गत उद्ग्रहण ₹ 3.58 करोड़ के अतिरिक्त कर एवं ₹ 5.37 करोड़ की पेनल्टी उद्ग्रहण करने में विफल रहे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.08 करोड़ का अनियमित रिफंड हुआ।

(ख) लेखापरीक्षा ने देखा कि कैथल तथा करनाल के 8 डीलरों ने 2009-10 से 2012-13 के मध्य भारत के बाहर चावल के निर्यात के लिए फार्म वैट डी-2 के विरुद्ध ₹ 254.97 करोड़ मूल्य का धान खरीदा परंतु वर्ष की समाप्ति पर ₹ 161.75 करोड़ मूल्य का धान स्टॉक में पड़ा था। डीलर ने वैट के भुगतान के बाद खरीदे धान/चावल में से चावल भी निर्यात किया था तथा ₹ 5.75 करोड़ के रिफंड अनुमत किए गए। डीलरों द्वारा, पहले फार्म वैट डी-2 के विरुद्ध खरीदे गए धान/चावल में से तथा फिर वैट भुगतान किए गए धान/चावल में से चावल निर्यात किए जाने अपेक्षित थे। अनुपालना न करने के कारण डीलर एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 7(5) के अंतर्गत दंडनीय कार्रवाई के लिए दायी था। कर-निर्धारण अंतिम करते समय (जून 2012 तथा जुलाई 2014 के मध्य) ए.ए.ज, उद्ग्रहणीय ₹ 11.31 करोड़ की पेनल्टी के अतिरिक्त ₹ 7.54 करोड़ के अतिरिक्त कर के उद्ग्रहण में विफल रहे क्योंकि विदेशी खरीदारों से क्रय आदेशों की प्रतियां रिकार्ड पर नहीं पाई गई थी तथा आगे ₹ 5.75 करोड़ का अनियमित रिफंड अनुमत कर दिया।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति स्वीकार की तथा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

2.2.11.7 फार्म वैट डी-2 के विरुद्ध खरीदे गए धान/चावल के स्टॉक का अप्रतिफल करना

लेखापरीक्षा ने देखा कि तीन डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) (कैथल, करनाल तथा कुरुक्षेत्र) के अंतर्गत नौ डीलरों ने वैट डी-2 फार्म के विरुद्ध तथा वैट के भुगतान के बाद भी 2010-11 से 2012-13 के दौरान धान/चावल खरीदे। डीलरों ने वैट डी-2 खरीदों तथा वैट भुगतान की गई खरीदों में से चावल का निर्यात किया। डीलरों ने दावा किया तथा उन्हें वैट भुगतान की गई खरीदों में से चावल के निर्यात के विरुद्ध ₹ 4.31 करोड़ के रिफंड की अनुमति दे दी गई। डीलरों के पास ₹ 8.14 करोड़ (अनुमानित) के कर से आवेष्टित ₹ 169.10 करोड़ मूल्य के वैट डी-2 फार्मों के विरुद्ध की गई खरीदों का क्लोजिंग स्टॉक तथा ₹ 3.12 करोड़ के कर से आवेष्टित ₹ 69.87 करोड़ मूल्य का वैट भुगतान किया हुआ स्टॉक था। डीलरों द्वारा पहले वैट डी-2 स्टॉक में से चावल का निर्यात करना अपेक्षित था। तदनुसार, रिफंड की अनुमति देते समय, वैट डी-2 स्टॉक में आवेष्टित कर (अनुमानित) रोका जाना था क्योंकि विदेशी खरीदारों से क्रय आदेशों की प्रतियां रिकार्ड पर नहीं पाई गई थी। जून 2012 तथा दिसंबर 2014 के मध्य कर-निर्धारण अंतिम करते समय, ए.ए.ज ने वैट डी-2 स्टॉक के धान में आवेष्टित अनुमानित कर को नहीं रोका जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3.14 करोड़ का अधिक रिफंड हुआ।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति स्वीकार की तथा मामलों की पुनः जांच करवाने का आश्वासन दिया।

2.2.11.8 सी.एस.टी. अधिनियम की धारा 10-ए के अंतर्गत पेनल्टी का उद्ग्रहण न करना

सी.एस.टी. अधिनियम की धारा 8(3) के अंतर्गत एक पंजीकृत डीलर पुनः बिक्री, बिक्री इत्यादि हेतु माल के विनिर्माण/संसाधन/पैकेजिंग में उपयोग के लिए घोषणा फार्म सी. के विरुद्ध माल खरीद सकता है किंतु अपने उपयोग हेतु अर्थात् उपर्युक्त धारा के अंतर्गत विनिर्दिष्ट से अन्य किसी प्रयोजन के लिए माल नहीं खरीद सकता है। आगे, धारा 10-ए विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए खरीदे गए माल का उपयोग न करने के लिए कर की अधिकतम डेढ़ गुणा पेनल्टी के उद्ग्रहण का प्रावधान करती है।

डी.ई.टी.सीज (एस.टी.) {गुड़गांव (पश्चिम), हिसार तथा झज्जर} के अंतर्गत लेखापरीक्षा ने डीलरों के मामले देखे जिन्होंने फार्म 'सी' के विरुद्ध कर की रियायती दर पर 2009-10 से 2011-12 वर्षों के दौरान ₹ 0.28 करोड़ के कर से आवेष्टित ₹ 2.19 करोड़ मूल्य का माल खरीदा। दो डीलरों (होटल मालिक तथा विनिर्माता) ने भवन सामग्री खरीदी तथा एक डीलर (ठेकेदार) ने टूक खरीदा। ये डीलर फार्म 'सी' के विरुद्ध ये माल खरीदने के लिए अधिकृत नहीं थे क्योंकि कथित माल उन प्रयोजनों के लिए उपयोग नहीं किया गया था जिनके लिए डीलर पंजीकृत थे। नवंबर 2012 तथा मार्च 2014 के मध्य कर-निर्धारण अंतिम करते समय, ए.एज फार्म 'सी' के दुरुपयोग के लिए ₹ 42 लाख की पेनल्टी का उद्ग्रहण करने में विफल रहे।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति स्वीकार की तथा मामलों की पुनः जांच करवाने का आश्वासन दिया।

2.2.11.9 अमान्य दस्तावेजों के विरुद्ध कटौती की अनुमति देने के कारण अधिक रिफंड

सी.एस.टी. अधिनियम की धारा 5(3) प्रावधान करती है कि किसी माल के भारत के राज्य क्षेत्र से बाहर निर्यात के समय होने वाली बिक्री अथवा खरीद से पूर्ववर्ती उस माल की अंतिम बिक्री अथवा खरीद ऐसे निर्यात के समय भी मानी जाएगी यदि ऐसी अंतिम बिक्री अथवा खरीद बाद में होती है तथा ऐसे निर्यात के संबंध में अथवा के क्रम में अथवा करार के अनुपालन के प्रयोजन हेतु थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 2009-10 से 2012-13 के दौरान तीन डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) (कैथल, करनाल तथा कुरुक्षेत्र) के अंतर्गत 18 डीलरों ने निर्यात के आदेशों की अनुपालना के लिए चावल के निर्यातकों को ₹ 112.10 करोड़ मूल्य के चावल बेचे। जून 2012 तथा दिसंबर 2014 के मध्य कर-निर्धारण अंतिम करते समय, ए.एज ने फार्म वैट डी-2 के विरुद्ध सी.एस.टी. अधिनियम की धारा 5(3) के अंतर्गत ₹ 28.34 करोड़ की कटौती की अनुमति दे दी। फार्म वैट डी-2 के साथ डीलरों द्वारा प्रस्तुत निर्यात के दस्तावेज अमान्य थे क्योंकि या तो चावल के निर्यात के फसल वर्ष चावल के विक्रय के फसल वर्ष से मेल नहीं खाते थे या निर्यात पहले ही हो चुका था या निर्यात 5 से 7 महीनों तक विलंबित था। अतः अमान्य दस्तावेजों के विरुद्ध कटौती की अनुमति के परिणामस्वरूप ₹ 1.39 करोड़ का अधिक रिफंड हुआ।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति स्वीकार की तथा मामलों की पुनः जांच करवाने का आश्वासन दिया।

2.2.11.10 ठेकेदारों/व्यापारियों को अनियमित रिफंड

धारा 2 (जेड.ई.) के अनुसार निर्माण संविदा के निष्पादन में अंतरित सामग्री पर कर उद्ग्रहणीय है। सरकार ने 17 मई 2010 को श्रम तथा सेवाओं का मूल्य 25 प्रतिशत नियत किया। नियम 33 के साथ पठित धारा 24 में टी.डी.एस.(डब्ल्यू.सी.टी.) की कटौती तथा अभिलेखों से भुगतान के उचित सत्यापन के बाद लाभ की अनुमति का प्रावधान है।

11 डी.ई.टी.सी. के संबंध में निर्माण ठेकेदारों तथा व्यापारियों के कर-निर्धारण के अभिलेखों से लेखापरीक्षा ने देखा कि कोई प्रमाण प्राप्त किए बिना, अर्थात् कर-निर्धारण में श्रम एवं सेवा की अधिक कटौती, सत्यापन के बिना टी.डी.एस. का लाभ, सी फार्म पर स्वयं को बिक्री के विरुद्ध रिफंड की अनुमति इत्यादि, फार्मूला लगाकर कर गलत ढंग से परिकलित किया गया था तथा ठेकेदारों/डीलरों को ₹ 54.45 करोड़ का अनियमित रिफंड जारी किया गया जैसाकि नीचे विवरण दिया गया है:

निर्माण ठेकेदारों तथा व्यापारियों को रिफंड जारी करने में अनियमितताएं					(₹ करोड़ में)
क्र. सं.	डी.ई.टी.सीज की संख्या	ठेकेदारों/डीलरों की संख्या	कर-निर्धारणों के वर्ष	अनियमितताओं की प्रकृति	अनुमत अनियमित रिफंड की राशि
1	10 ²¹	41	2006-07 से 2012-13	ए.एज ने वैट डी-1 के दुरुपयोग के लिए निर्माण ठेकेदारों के विरुद्ध ₹ 7.83 करोड़ (कर: ₹ 3.13 करोड़ + पेनल्टी: ₹ 4.70 करोड़) के अतिरिक्त कर एवं पेनल्टी का अनुदग्रहण नहीं किया तथा ₹ 5.83 करोड़ का अनियमित रिफंड अनुमत किया।	5.83
2	6 ²²	22	2006-07 से 2012-13	ए.एज ने सकल प्राप्तियों में कर के आमेलन का कोई प्रमाण प्राप्त किए बिना फार्मूला द्वारा निर्माण ठेकेदारों पर ₹ 20.67 करोड़ के उद्ग्रह्य कर के विरुद्ध ₹ 19.71 करोड़ मूल्य का कर उद्ग्रहीत किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.96 करोड़ के अनियमित रिफंड की अनुमति हुई।	0.96
3	5 ²³	23	2008-09 से 2011-12	निर्माण ठेकेदारों के कर निर्धारण तैयार करते समय ए.एज ने किसी औचित्य का वर्णन किए बिना ₹ 212.24 करोड़ की अनुमत्य छूट के विरुद्ध ₹ 414.13 करोड़ के श्रम एवं सेवाओं की छूट अनुमत की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 201.89 करोड़ की अधिक छूट तथा ₹ 17.72 करोड़ के अनियमित रिफंड की अनुमति हुई।	17.72
4	1 ²⁴	1	2010-11 तथा 2011-12	ए.एज ने ₹ 1.61 करोड़ की अनुमत्य छूट के विरुद्ध ₹ 3.06 करोड़ के ईंधन की छूट अनुमत की परिणामस्वरूप ₹ 1.45 करोड़ की अधिक छूट तथा ₹ 0.13 करोड़ के अनियमित रिफंड की अनुमति हुई।	0.13
5	10 ²⁵	34	2004-05 से 2012-13	ए.एज ने दैनिक संग्रहण रजिस्टर से सत्यापन किए बिना ₹ 19.80 करोड़ के टी.डी.एस. (डब्ल्यू.सी.टी.) का लाभ अनुमत किया परिणामस्वरूप ₹ 16.32 करोड़ का अनियमित रिफंड हुआ।	16.32

21 अंबाला, फतेहाबाद, गुड़गांव (पश्चिम), हिसार, जगाधरी, कैथल, करनाल, कुरूक्षेत्र, पंचकुला तथा सोनीपत।

22 फतेहाबाद, गुड़गांव (पूर्व), गुड़गांव (पश्चिम), कैथल, करनाल तथा सिरसा।

23 अंबाला, गुड़गांव (पूर्व), गुड़गांव (पश्चिम), कैथल तथा कुरूक्षेत्र।

24 डी.ई.टी.सी. कैथल।

25 अंबाला, फतेहाबाद, गुड़गांव (पश्चिम), जींद, जगाधरी, कैथल, करनाल, कुरूक्षेत्र, सिरसा तथा सोनीपत।

निर्माण ठेकेदारों तथा व्यापारियों को रिफंड जारी करने में अनियमितताएं (₹ करोड़ में)					
क्र. सं.	डी.ई.टी.सी.ज की संख्या	ठेकेदारों/ डीलरों की संख्या	कर-निर्धारणों के वर्ष	अनियमितताओं की प्रकृति	अनुमत अनियमित रिफंड की राशि
6	3 ²⁶	8	2009-10	ए.ए.ज ने व्यापारियों को रिफंड अनुमत किया जो एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 20 (2) के अंतर्गत आवृत्त नहीं था परिणामस्वरूप ₹ 0.42 करोड़ का अनियमित रिफंड हुआ।	0.42
7	1 ²⁷	1	2010-11	ए.ए.ज ने उन डीलरों को रिफंड अनुमत किया जिन्होंने फार्म वैट डी-1/सी के विरुद्ध स्वयं/ब्रांच को बिक्री दर्शाई परिणामस्वरूप ₹ 3.54 करोड़ का अनियमित रिफंड हुआ।	3.54
8	9 ²⁸	79	2004-05 ²⁹ से 2013-14	ए.ए.ज सरेडर की गई आय, विविध आय, डी.ई.पी.बी. पर कर उद्ग्रहण करने में विफल रहे, ईंधन तथा अन्य अवैध क्रयों पर गलत आई.टी.सी. की अनुमति दी, वैट आर.-2 इत्यादि रिटर्न में दावा किए गए से अधिक आई.टी.सी. की अनुमति दी तथा ₹ 9.53 करोड़ के अनियमित रिफंड की अनुमति दी।	9.53
योग					54.45

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति स्वीकार की (क्र.सं. 1, 2 तथा 4 से 8) तथा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। क्र.सं. 3 के बारे में, विभाग ने बताया कि श्रम की 25 प्रतिशत से अधिक कटौती की ठेकेदार द्वारा रखे गए सही लेखाओं के आधार पर अनुमति दी जा सकती है। तथापि, विभाग ने फील्ड कार्यालयों को निदेश जारी करने का आश्वासन दिया कि जहां भी 25 प्रतिशत से अधिक की कटौती की अनुमति दी जानी है उसके लिए स्पष्ट कर-निर्धारण आदेश पारित किए जाएं।

2.2.11.11 डी.एम.आर.सी. के ठेकेदारों को अनियमित रिफंड

अनुसूची 'बी' की प्रविष्टि 3-ए के अनुसार 30 नवंबर 2006 से गुड़गांव मेट्रो कोरीडोर में प्रयोग के लिए दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डी.एम.आर.सी.) को बेचे गए माल पर कोई कर उद्ग्रहणीय नहीं था। आगे, अनुसूची 'जी' की प्रविष्टि 3, 6 अप्रैल 2010 को शामिल की गई थी (30 नवंबर 2006) तथा अनुसूची 'बी' की प्रविष्टि 3-ए, डी.एम.आर.सी. को बेचे गए माल की खरीद पर प्रदत्त कर का रिफंड मांगने के लिए डीलरों को सक्षम बनाने के लिए साथ-साथ हटा दी गई थी।

डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) गुड़गांव (पूर्व) में लेखापरीक्षा ने देखा कि तीन ठेकेदारों ने 2009-10 से 2011-12 के दौरान गुड़गांव मेट्रो कोरीडोर के निर्माण ठेका कार्यों का निष्पादन किया तथा ₹ 2.22 करोड़ के रिफंड का दावा किया। जून 2012 तथा मार्च 2013 के मध्य कर-निर्धारण अंतिम करते समय, ए.ए.ज ने इन ठेकेदारों को कर के रिफंड की अनुमति दे दी यद्यपि ठेकेदारों द्वारा उद्धृत दरों में कर शामिल थे। ठेकेदार को कर का रिफंड नियमानुसार नहीं था क्योंकि डी.एम.आर.सी. ने रनिंग बिलों के माध्यम से पहले ही ठेकेदारों को कर का भुगतान कर दिया

²⁶ फरीदाबाद (पूर्व), गुड़गांव (पूर्व) तथा गुड़गांव (पश्चिम)।

²⁷ गुड़गांव (पूर्व)।

²⁸ अंबाला, फरीदाबाद (पूर्व), फरीदाबाद (पश्चिम), गुड़गांव (पूर्व), गुड़गांव (पश्चिम), करनाल, कुरुक्षेत्र, सिरसा तथा सोनीपत।

²⁹ गुड़गांव पूर्व के डीलर का कर-निर्धारण 13 फरवरी 2008 को अंतिमकृत किया गया था किंतु रिफंड देरी हेतु कोई कारण दर्ज किए बिना 24 जून 2013 को जारी किया गया था।

था। कर रियायत का लाभ, यदि कोई हो, डी.एम.आर.सी. को दिया जाना चाहिए। अतः ठेकेदारों को कोई रिफंड अनुमत्य नहीं था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.22 करोड़ का अनियमित रिफंड हुआ।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, विभाग ने बताया कि सूची 'जी' में प्रविष्टि ठेकेदारों को रिफंड की अनुमति देने के लिए शामिल की गई थी। तथापि, मामलों को आगे जांच के लिए पुनरीक्षण में लिया गया।

2.2.12 आंतरिक नियंत्रण यंत्रावली

आंतरिक नियंत्रण एक आंतरिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक संगठन अपने उद्देश्यों को प्रभावशाली ढंग से प्राप्त करने के लिए अपनी गतिविधियां चलाता है। एक अंतर्निहित आंतरिक नियंत्रण यंत्रावली तथा कोड्स एवं मैनुअलों की सख्त अनुपालना लागू नियमों के अनुपालन, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता प्राप्त करने, इसके परिचालनों में प्रभाविकता एवं दक्षता के बारे में विभाग को उचित आश्वासन प्रदान करती है।

2.2.12.1 आंतरिक लेखापरीक्षा

प्रबंधन के हाथ में आंतरिक नियंत्रण यह सुनिश्चित करने के लिए एक यंत्र है कि निर्धारित प्रणालियां सही रूप से कार्य कर रही हैं।

यह देखा गया कि विभाग द्वारा कर-निर्धारण मामलों की कोई आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की जा रही थी।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, विभाग ने कुछ समय में निर्धारण मामलों की आंतरिक लेखापरीक्षा प्रारंभ करने बारे बताया।

2.2.12.2 मानीटरिंग

अधिनियमों के प्रबंध एवं कार्यान्वयन के लिए, विभाग में प्रभावी मानीटरिंग यंत्रावली अपेक्षित है। प्रभावशाली मानीटरिंग आवधिक रिपोर्टों, अनुवर्ती कार्रवाई तथा कर-निर्धारण अभिलेखों के सही रूप में रख-रखाव को सुनिश्चित करने के लिए फील्ड कार्यालयों के निरीक्षण द्वारा की जा सकती है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि चैकलिस्टों को तैयार करने, घोषणा फार्मों के लेखे प्राप्त करने, कर के भुगतान का प्रमाण, बिक्रियों/क्रयों के क्रास सत्यापन तथा माल के मूवमेंट की चैकिंग के बारे में मार्च 2006, फरवरी 2007 तथा जुलाई 2013 को जारी किए गए अनुदेशों/दिशा-निर्देशों का ए.ए.ज. द्वारा मामलों की संवीक्षा करते समय अनुसरण नहीं किया जा रहा था। आगे, आठ डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) में लेखापरीक्षा ने देखा कि कर-निर्धारण मामलों के अभिलेख सही ढंग से नहीं रखे जा रहे थे। निम्नलिखित लेखापरीक्षा अनुच्छेदों में चर्चा की गई अनियमितताएं, अर्थात् मांग एवं संग्रहण रजिस्टर का रख-रखाव न करना, कर निर्धारण आदेशों एवं मांग नोटिसों को देर से सर्व करना, मामलों के पुनः कर-निर्धारण में विलंब तथा रिटर्न न भरने के लिए पैनल्टी इत्यादि, अप्रभावी आंतरिक नियंत्रण यंत्रावली के सूचक हैं।

(क) रिटर्न (वैट जी-8) की मांग तथा संग्रहण रजिस्टर (डी.सी.आर.) का रख-रखाव न करना

एच.वी.ए.टी. नियमों के नियम 37 में प्रावधान है कि प्रत्येक जिला के प्रभारी अधिकारी अधिनियमों के अंतर्गत पंजीकृत डीलरों के संबंध में वैट जी-8 फार्म में रिटर्नस का डी.सी.आर.

रखेगा जिसमें फाईल की गई रिटर्नस, किए गए कर-निर्धारण तथा कर के भुगतान/अतिरिक्त की गई मांग इत्यादि को दर्शाया गया हो।

आठ डी.ई.टी.सीज (एस.टी.)³⁰ के कार्यालयों में लेखापरीक्षा ने देखा कि रिटर्नस (वैट जी-8) का डी.सी.आर. सही ढंग से नहीं बनाया जा रहा था क्योंकि फाईल की गई रिटर्नस, किए गए कर-निर्धारण तथा किए गए भुगतान के विवरण उसमें दर्ज किए नहीं पाए गए।

आगे, डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) जगाधरी के कार्यालय के अंतर्गत एक मामले में वर्ष 2010-11 से संबंधित ₹ 6 लाख का कर जमा करवाने का लाभ वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 के कर-निर्धारण वर्षों में अनुमत किया गया था। डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) अंबाला तथा गुडगांव (पश्चिम) के दो मामलों में ₹ 2.19 करोड़ के कर जमा करने का लाभ अभिलेखों से सत्यापन के बिना अनुमत किया गया था। आगे, यह देखा गया कि जमा किए गए कर की राशि न तो वैट जी-8 रजिस्टर में तथा न ही कर के मांग तथा संग्रहण रजिस्टर में दर्ज की गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.25 करोड़ के कर का अनियमित लाभ दिया गया।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति स्वीकार की तथा ए.सी.एस. ने विभाग को उक्त अभिलेख सही ढंग में रखने के निदेश दिए।

(ख) कर-निर्धारण आदेशों तथा मांग नोटिसों को देर से दिया जाना

14 मार्च 2006 को जारी निर्देशों के अनुसार, मांग के नोटिस के साथ कर-निर्धारण आदेश की प्रति कर-निर्धारण के अंतिमकरण के पंद्रह दिनों के अंदर डीलरों को दी जानी थी।

डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), फरीदाबाद (पश्चिम) के कार्यालय के अंतर्गत 99 मामलों में लेखापरीक्षा ने देखा कि ए.एज, कर-निर्धारण आदेशों तथा प्रत्येक ₹ एक लाख से अधिक की मांग से आवेष्टित मांग नोटिसों की प्रति समय पर देने में विफल रहे जोकि 15 से 455 दिनों के मध्य श्रृंखलित विलंब से दिए गए थे। डी.ई.टी.सी. स्तर पर मानीटरिंग न होने के परिणामस्वरूप ₹ 1.46 करोड़ के ब्याज की हानि हुई क्योंकि विभाग की ओर से चूक के कारण डीलरों से यह राशि वसूल नहीं की जा सकी।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, विभाग ने चूक को स्वीकार किया तथा अधिनियम/नियमों के प्रावधानों की कड़ी अनुपालना के लिए निर्देश जारी करने हेतु कहा।

(ग) डी.ई.टी.सीज/जे.ई.टी.सीज द्वारा कर-निर्धारण मामलों की जांच न करना

प्रभावी आंतरिक नियंत्रण रखने के लिए, विभाग द्वारा प्रति माह/तिमाही को डी.ई.टी.सीज द्वारा ई.टी.सी. को मासिक/तिमाही विवरणियां प्रस्तुत की जानी अपेक्षित हैं। ए.एज द्वारा कर-निर्धारित मामलों में से विभाग ने डी.ई.टी.सीज/जे.ई.टी.सीज द्वारा जांच किए जाने वाले संवीक्षा मामलों की संख्या भी निर्धारित की थी।

यह सिद्ध करने के लिए रिकार्ड में कुछ नहीं था कि डी.ई.टी.सी./जे.ई.टी.सीज ने ए.एज द्वारा कर-निर्धारित मामलों की जांच की थी न ही ई.टी.सी. को कोई रिपोर्ट भेजी गई थी। इस प्रकार, आंतरिक नियंत्रण यंत्रावली कमजोर थी।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति स्वीकार की तथा आंतरिक नियंत्रण मजबूत करने के लिए निदेश जारी करने हेतु कहा।

³⁰ अंबाला, फरीदाबाद (पश्चिम), गुडगांव (पश्चिम), जगाधरी, ब्रज्जर, जींद, सिरसा तथा सोनीपत।

(घ) मामलों के पुनः कर-निर्धारण में विलंब के कारण राजस्व की हानि

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 17 में प्रावधान है कि यदि कर-निर्धारण प्राधिकारी को पता चलता है कि एक डीलर के व्यापार का टर्न-ओवर कम निर्धारित किया गया है अथवा कर-निर्धारण से बच गया है अथवा इनपुट या रिफंड किसी वर्ष में अधिक अनुमत किया गया है तो वह डीलर को सुने जाने का उपयुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् कर-निर्धारण वर्ष के लिए उसकी कर दायिता का पुनः कर-निर्धारण कर सकता है।

2009-10 से 2012-13 वर्षों के लिए चार डी.ई.टी.सीज (एस.टी.)³¹ के कार्यालयों को इस कार्यालय द्वारा जारी किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों (आई.आर.ज) के विश्लेषण के दौरान यह देखा गया था कि 2006-07 से 2009-10 तक कर-निर्धारण वर्षों से संबंधित ₹ 12.75 करोड़ के कर को बचाने से आवेष्टित 50 मामलों में ए.ए.ज ने लेखापरीक्षा के समय उत्तर दिया कि अपेक्षित कार्रवाई की जा रही है, मामलों की दुबारा जांच की जा रही है, मामले स्वतः कार्यवाही करने के लिए पुनरीक्षण प्राधिकारी (आर.ए.) को भेजे गए थे या भेजे जा रहे हैं परंतु कोई अपेक्षित कार्रवाई अभी तक नहीं की गई तथा मामले कालबाधित हो गए हैं। इस प्रकार, ए.ए.ज द्वारा समयपूर्व कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए डी.ई.टी.सी./जे.ई.टी.सी. स्तर पर नियंत्रण विफलता के परिणामस्वरूप कर-निर्धारित न किए गए मामलों के कालबाधित होने से ₹ 12.75 करोड़ की हानि हुई।

एग्जिट काफ्रेंस के दौरान, विभाग लेखापरीक्षा अभ्युक्ति से सहमत हो गया तथा अब कार्रवाई प्रारंभ करवाने के बारे में बताया क्योंकि पुनरीक्षण के लिए सीमा अवधि छः वर्ष तक बढ़ा दी गई है।

(ड.) रिटर्नस फाईल न करने के लिए पेनल्टी उद्ग्रहण न करना

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 37 ए में रिटर्नस के देरी से/न फाईल करने के लिए पेनल्टी के उद्ग्रहण हेतु प्रावधान है। डीलरों द्वारा रिटर्नस देर से/न फाईल करने के संबंध में जिले के डी.ई.टी.सी. द्वारा ए.ए.ज से रिपोर्ट प्राप्त करना तथा तदन्तर पेनल्टी उद्ग्रहण करना अपेक्षित था।

आठ डी.ई.टी.सीज (एस.टी.)³² के कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना-जांच के दौरान, यह पाया गया कि 2009-10 से 2013-14 के दौरान, 5,723 डीलरों ने अपनी रिटर्नस समय पर फाईल नहीं की थी तथा ए.ए.ज इन डीलरों के विरुद्ध पेनल्टी उद्ग्रहण करने में विफल रहे क्योंकि डी.ई.टी.सी. स्तर पर नियंत्रण की कमी के कारण रिटर्न चूककर्ताओं से पेनल्टी का उद्ग्रहण नहीं हुआ।

एग्जिट काफ्रेंस के दौरान, विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति स्वीकार की तथा पेनल्टी के उद्ग्रहण के लिए निर्देश जारी करने हेतु बताया।

(च) वर्ष के दौरान सृजित मांग की वसूली

कर/पेनल्टी की वसूली डीलरों से कर-निर्धारण के तुरंत बाद की जानी चाहिए तथा उचित स्तर पर निगरानी की जानी चाहिए।

³¹ अंबाला, जगाधरी, झज्जर तथा जींद।

³² अंबाला, फरीदाबाद (पश्चिम), गुडगांव (पश्चिम), जगाधरी, झज्जर, जींद, सिरसा तथा सोनीपत।

आठ चयनित डी.ई.टी.सीज (एस.टी)³³ के अभिलेखों के विश्लेषण पर लेखापरीक्षा ने देखा कि वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान ए.एज ने ₹ 4,464.66 करोड़ की मांग सृजित की, ₹ 1,791 करोड़ की मांग छोड़ दी गई तथा निवल वसूलनीय ₹ 2,673.66 करोड़ वसूलनीय रहे जैसाकि नीचे तालिका में वर्णित है:

(₹ लाख में)							
क्र. सं.	वर्ष	सृजित मांग	विलोपन/ छोड़ी गई	निवल वसूलनीय	वर्ष के दौरान वसूल की गई	वसूल किए जाने वाला शेष	वसूली का प्रतिशतता
1	2009-10	80,098.97	12,899.40	67,199.57	4,763.56	62,436.01	7.09
2	2010-11	46,653.03	16,642.96	30,010.07	4,498.81	25,511.26	14.99
3	2011-12	46,793.84	17,744.05	29,049.79	4,302.78	24,747.01	14.81
4	2012-13	46,140.05	16,012.68	30,127.37	4,085.31	26,042.06	13.56
5	2013-14	2,26,780.56	1,15,801.49	1,10,979.07	5,618.39	1,05,360.68	5.06
	योग	4,46,466.45	1,79,100.58	2,67,365.87	23,268.85	2,44,097.02	8.70

2009-10 से 2013-2014 वर्षों के दौरान निवल वसूलनीय मांग की औसत वसूली केवल 8.70 प्रतिशत आती है जो संकेत करती है कि समुचित स्तर पर नियंत्रण की कमी के कारण वसूली की धीमी गति हुई।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति स्वीकार की तथा बताया कि वसूली प्रक्रिया को तेज करने के लिए प्रयास किए जाएंगे।

2.2.12.3 अन्य कमियां

प्रभावी जांच के लिए कर-निर्धारण मामले की फाईलों में रिटर्नस, विक्रय/क्रय की सूचियां, विधिवत् भरे गए तथा सभी प्रकार से पूर्ण साविधिक फार्म होने चाहिए। कर-निर्धारण फाईलों में निम्नलिखित कमियां देखी गई थी:

- जैसा कि नियम, 25(1) के अंतर्गत अपेक्षित है, कर से छूट प्राप्त विक्रय की कटौती के समर्थन में विक्रय/क्रय इनवायस की प्रतियां न तो प्राप्त की जा रही थी न ही बेची गई/खरीदी गई मर्चों के नाम कर-निर्धारण आदेशों में उल्लिखित किए गए थे।
- पंजाब वित्तीय नियम खंड-1 के नियम 9.3 में निहित प्रावधानों के अनुसार, रिफंड की अनुमति मूल मांग या वसूली (जैसा भी मामला हो) में से दी जानी थी। इस प्रकार, रिफंड की अनुमति माल के प्रथम विक्रेता द्वारा कोषालय में भुगतान किए कर में से दी जानी है। यह अवलोकित किया गया कि रिफंड, माल के विक्रेताओं, जिनके विरुद्ध रिफंड उपार्जित थे, से अन्य बृहद् करदाताओं द्वारा भुगतान किए गए कर में से जारी किए जा रहे थे। रिफंड आवेदन-पत्र उपयुक्त प्रपत्र वैट ए-4 पर प्राप्त नहीं किए जा रहे थे।
- निर्माण ठेकेदारों के मामले में, संविदा/अनुबंध की प्रति कर-निर्धारण फाईलों में नहीं पाई गई थी।

³³ अंबाला, फरीदाबाद (पश्चिम), गुडगांव (पश्चिम), जगाधरी, झज्जर, जींद, सिरसा तथा सोनीपत।

- 'बिल के अनुसार' विवरण में शामिल विक्रय/क्रय (एल.एस.-2/एल.पी-3) की सूची के अनुसार फार्म 'सी' में बेची/खरीदी गई वस्तु का नाम उल्लिखित नहीं किया जा रहा था। बेची/खरीदी गई वस्तु का नाम फार्म 'सी' तथा सूचियों में दर्ज किया जाना चाहिए।
- वैट सी-4 फार्मों में कोई क्र.सं. या प्रिंटेड क्र.सं. इत्यादि नहीं थे जैसा कि एच.वी.ए.टी. नियम 2003 के नियम-20 के अंतर्गत अपेक्षित है। आगे, अधिकतर मामलों में बेची/खरीदी गई वस्तुओं के नाम भी वैट सी-4 में उल्लिखित नहीं थे। दिनांक 17 मई 2010 के संशोधन के बाद कर इत्यादि के भुगतान के ब्यौरे न तो वैट सी-4 में प्रिंट किए गए न ही जारीकर्ता डीलरों द्वारा प्रस्तुत किए गए थे।
- वर्ष 2010-11, 2011-12 तथा 2012-13 के लिए कर-निर्धारण एच.वी.ए.टी. अधिनियम 2003 की धारा 15(1) के अंतर्गत किए गए थे। कर-निर्धारण के समय वैट लेन-देनों से संबंधित कोई दस्तावेज प्राप्त नहीं किए गए। परंतु रिफंड्स जारी करते समय, दस्तावेज अर्थात् वैट सी-4/वैट डी-1 इत्यादि भी प्राप्त नहीं किए गए। इन दस्तावेजों के अभाव में रिफंड की प्रमाणिकता लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं की जा सकी।
- चावल के निर्यातकों के मामले में वैट डी-2/एच. फार्म में घोषणा के विरुद्ध धान/चावल के प्रापण की तथ्यता सुनिश्चित करने के लिए कोई निर्यात आदेश (विदेशी क्रेताओं से) फाईल में उपलब्ध नहीं थे तथा विदेशी क्रेताओं की क्रय आदेश संख्या तथा दिनांक तथा निर्यात के ब्यौरे फार्म वैट डी-2/एच. फार्म में घोषणाओं में भरे नहीं पाए गए। आगे, लदान के बिलों में (निर्यात का सबूत) भारत के कस्टमज फ्रंटियर से प्रस्थान करने वाले माल के समर्थन में कस्टम क्लीयरेंस प्रमाण-पत्र नहीं थे।
- मिलिंग द्वारा प्राप्त धान की भूसी को व्यापार लेखे में नहीं दिखाया गया। यह बताया गया कि इसे बायॉलर में ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया गया। चूंकि धान भूसी का ईंधन के रूप में प्रयोग माल के विक्रय से अन्य निपटान था, आई.टी.सी. आनुपातिक रूप में रिवर्स किया जाना था। यह नहीं किया जा रहा था।

एग्जिट कांफ्रेंस के दौरान, विभाग ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गई कमियों को स्वीकार किया तथा आवश्यक निर्देश जारी करने बारे बताया ताकि ऐसी भूलें दोहराई न जाएं।

2.2.14 निष्कर्ष

वैट के आरंभ में बेहतर कर प्रशासन हेतु कर अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण, पंजीकरण विवरणों तथा घोषणा फार्मों को जारी करने पर विचार किया गया किंतु बारह वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के बाद भी विभाग में कंप्यूटरीकरण का निम्नतम स्तर पर भी विद्यमान नहीं है। राष्ट्रीय नेटवर्क टी.आई.एन.एक्स.एस.वाई.एस. से कनेक्टिविटी के माध्यम से विक्रयों/क्रयों, घोषणा फार्मों को जारी करने तथा पंजीकरण प्रमाण-पत्रों को रद्द करने इत्यादि से संबंधित सूचना को अपलोड नहीं किया गया था तथा अन्य जिलों/राज्यों को पत्र जारी करके मैन्युअल रूप से सत्यापन किया जा रहा था। आर.सी. के रद्द करने के अतिरिक्त कर-निर्धारणों के अंतिमकरण हेतु अधिनियम में कोई प्रावधान विद्यमान नहीं है, अन्य विभागों से उपलब्ध सूचना के क्रास सत्यापन द्वारा अपंजीकृत डीलरों, ठेकेदारों का पता लगाने के लिए विभाग द्वारा कोई

प्रयास नहीं किए गए थे। मामलों को वार्षिक रूप से 50,000 से 5,000 तक घटाने के बाद भी कर-निर्धारण में कोई सुधार नहीं देखा गया था। कर के अवनिर्धारण तथा कर की गलत दर लागू करने के कारण अनियमित रिफंड, जाली फार्मों पर कर रियायत का लाभ, पेनल्टी, ब्याज तथा सरचार्ज का अनुद्ग्रहण, कर रियायत का अधिक लाभ, आई.टी.सी. का कम-न रिवर्सल, अनियमित कटौतियों के उदाहरण देखे गए जिनके परिणामस्वरूप राजस्व की हानि हुई। रिटर्नों के मांग एवं संग्रहण रजिस्ट्रों को उचित रूप से रखने के अभाव में जमा किए गए कर के विवरणों का पता नहीं लगाया जा सका। कर-निर्धारण के पश्चात् कर-निर्धारण आदेश तथा मांग नोटिस देरी से जारी किए गए थे परिणामतः ब्याज की हानि हुई। अधिनियमों/नियमों के विभिन्न प्रावधानों की अननुपालना के परिणामस्वरूप अपर्याप्त कर प्रबंध एवं प्रशासन हुआ।

2.2.15 सिफारिशें

यह सिफारिश की जाती है कि विभाग निम्नलिखित पर विचार कर सकता है:

- (i) घोषणा फार्मों के विरुद्ध विक्रयों/क्रयों के सत्यापन के लिए कर सूचना विनिमय प्रणाली (टी.आई.एन.एक्स.एस.वाई.एस.) पर घोषणा फार्मों के प्रयोग के ब्यौरे अपलोड करने के लिए प्रणाली खोजना;
- (ii) विक्रय/क्रय के लेन-देनों, फार्मों इत्यादि के क्रास सत्यापन के लिए शत-प्रतिशत कंप्यूटरीकरण का कार्यान्वयन करना;
- (iii) पंजीकरण प्रमाण-पत्रों के रद्द करने की तिथि के बाद कर-निर्धारण मामलों को शीघ्रतम अंतिम करने के लिए आवश्यक अनुदेश जारी करना;
- (iv) अपंजीकृत निर्माण ठेकेदारों/डीलरों का पता लगाने के लिए डाटाबेस/सूचना के क्रास विनिमय की प्रणाली खोजने तथा सूचना के विनिमय के परिणाम की मानीटरिंग करना;
- (v) केवल माल के पहले विक्रेता के द्वारा राजकोष में भुगतान किए गए कर में से पी.एफ.आर. खंड-1 के नियम 9.3 के अनुसार रिफंड जारी करना; तथा
- (vi) एच.वी.ए.टी. अधिनियम, सी.एस.टी. अधिनियम तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी आंतरिक नियंत्रण यंत्रावली स्थापित करना तथा कर-निर्धारण मामलों की आंतरिक लेखापरीक्षा करना।

2.3 अविक्रीत माल पर आई.टी.सी. का गलत लाभ

₹ 95.81 करोड़ मूल्य के शुल्क तथा हकदारी पासबुक (डी.ई.पी.बी.)/आयात लाईसेंस की खरीद, जो पुनः बिक्री के लिए उपयोग किए जाने हैं, देय सीमा शुल्क के विरुद्ध गलत ढंग से समायोजित की जानी अनुमत की गई थी, परिणामस्वरूप एक डीलर को ₹ 4.84 करोड़ के गलत आई.टी.सी. की स्वीकृति दी।

एच.वी.ए.टी. अधिनियम 2003 की धारा-8 के प्रावधानों के अनुसार, ऐसे माल के विक्रय या उससे राज्य के भीतर विनिर्मित माल या अंतर्राज्यीय व्यापार तथा वाणिज्य पर कर देयता के विरुद्ध माल के क्रय पर आई.टी.सी. अनुमत्य है। प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी एवं कराधान विभाग ने भी स्पष्ट किया (22 अप्रैल 2013) कि आई.टी.सी. केवल तभी उपलब्ध है यदि ड्यूटी क्रेडिट्स स्क्रिप्स (स्क्रिप्स) ऐसे दुबारा विक्रय के लिए खरीदी जाती हैं तथा यदि ये सीमा शुल्क के समायोजन के लिए प्रयोग की गई थी तो कोई आई.टी.सी. अनुमत्य नहीं होगा।

लेखापरीक्षा ने देखा कि डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), गुड़गांव (पश्चिम) के अंतर्गत एक डीलर ने 2009-10 से 2011-12 के दौरान ₹ 4.84 करोड़ के वैट के भुगतान के बाद ₹ 95.81 करोड़ मूल्य के शुल्क हकदारी पासबुक (डी.ई.पी.बी.)/आयात लाईसेंस खरीदे। डीलर ने इसका प्रयोग अपने द्वारा देय सीमा शुल्क के समायोजन के लिए किया। चूंकि डीलर द्वारा माल (स्क्रिप्स) नहीं बेचे गए, इसलिए कोई आई.टी.सी. अनुमत्य नहीं था। तथापि, मार्च 2013 तथा मार्च 2014 के मध्य इन मामलों में कर-निर्धारणों को अंतिम करते समय ए.ए. ने डीलर को आई.टी.सी. दावे अनुमत कर दिए परिणामस्वरूप ₹ 4.84 करोड़ के आई.टी.सी. की गलत स्वीकृति हुई।

यह इंगित किए जाने पर (सितंबर 2014), डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), गुड़गांव (पश्चिम) ने सितंबर 2015 में बताया कि मामले स्वतः कार्रवाई के लिए पुनरीक्षण प्राधिकारी को भेजे गए थे।

मामला सरकार को मई 2015 को प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवंबर 2015)।

2.4 ब्याज का अनुद्ग्रहण

एक मामले में डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), पंचकूला द्वारा 12 महीने व्यतीत होने के बाद भी ब्याज उद्ग्रहण करने के लिए कार्रवाई प्रारंभ नहीं की गई थी, परिणामतः ₹ 3.49 करोड़ के ब्याज का अनुद्ग्रहण हुआ।

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 14(6) अन्य बातों के साथ निर्धारित करती है कि यदि कोई डीलर कर का भुगतान करने में विफल रहता है तो वह उसके द्वारा देय कर के अतिरिक्त, एक प्रतिशत प्रतिमाह पर यदि भुगतान 90 दिन के भीतर किया जाता है तथा दो प्रतिशत प्रतिमाह यदि चूक नब्बे दिन से आगे भी चलती है पूरी अवधि के लिए, कर भुगतान के लिए विनिर्दिष्ट अंतिम तिथि से उस तिथि तक जब वह भुगतान करता है, साधारण ब्याज के भुगतान के लिए दायी होगा। ई.टी.सी., हरियाणा ने भी अनुदेश जारी किए (सितंबर 1993) कि प्रत्येक ए.ए. का यह कर्तव्य है कि वह कर-निर्धारण के साथ दंड कार्यवाही को भी अंतिम करें तथा यदि, किसी कारण से दंड कार्रवाई लंबित रखी जाती है तो कर-निर्धारण के अंतिम किए जाने के शीघ्र बाद वह प्रारंभ की जानी चाहिए तथा कर-निर्धारण के छः महीनों के भीतर पूर्ण की जानी चाहिए।

नवंबर 2014 में डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), पंचकुला के कार्यालय के अभिलेखों से लेखापरीक्षा ने देखा कि ए.ए. ने एक डीलर के वर्ष 2010-11 के लिए कर-निर्धारण नवंबर 2013 में अंतिम किया तथा ₹ 4.59 करोड़ की अतिरिक्त मांग सृजित की। ब्याज उद्ग्रहण/दंड कार्रवाई के लिए कार्रवाई अलग से की जानी थी जैसा कि कर-निर्धारण आदेश में बताया गया था। तथापि, 12 महीने बीतने के बाद भी ब्याज उद्ग्रहण के लिए इस प्रकार की कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप में ₹ 3.49 करोड़ के ब्याज का अनुद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर (नवंबर 2014), डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) पंचकुला ने मार्च 2015 में बताया कि ₹ 3.43 करोड़ का ब्याज अब एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 14(6) के अंतर्गत उद्ग्रहीत किया गया है। आगे, वसूली पर प्रगति अभी प्रतीक्षित है (नवंबर 2015)।

मामला मई 2015 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवंबर 2015)।

2.5 अतिरिक्त कर (सरचार्ज) का अनुद्ग्रहण

ए.ए. ने वैट के अंतर्गत ₹ 33.93 करोड़ के कर पर पांच प्रतिशत की दर पर सरचार्ज के रूप में अतिरिक्त कर का उद्ग्रहण नहीं किया, परिणामस्वरूप 42 मामलों में ₹ 1.69 करोड़ के सरचार्ज का अनुद्ग्रहण हुआ।

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 7 (ए) के अनुसार, 2 अप्रैल 2010 से कर पर पांच प्रतिशत की दर पर सरचार्ज के रूप में एक अतिरिक्त कर उद्ग्रहणीय था। प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार ने भी स्पष्ट किया है (10 फरवरी, 2014) कि निर्माण ठेकेदार जिन्होंने कर के एवज में एकमुश्त भुगतान का विकल्प दिया है, भी एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा-7(ए) के अंतर्गत सरचार्ज की देयता के निर्वहन के लिए दायी हैं।

जुलाई तथा दिसंबर 2014 के मध्य डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) के पांच कार्यालयों³⁴ के कर-निर्धारण अभिलेखों से लेखापरीक्षा ने देखा कि ए.ए. ने 42 मामलों में कर-निर्धारण अंतिम करते समय (अप्रैल 2013 तथा मार्च 2014 के मध्य) वर्ष 2010-11 तथा 2012-13 के दौरान ₹ 807.05 करोड़ के करयोग्य टर्नओवर पर चार प्रतिशत की दर पर ₹ 33.93 करोड़ का कर परिकलित किया किंतु ₹ 33.93 करोड़ की कर राशि के पांच प्रतिशत की दर पर अतिरिक्त कर उद्ग्रहीत नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.69 करोड़ के सरचार्ज का अनुद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर (जुलाई तथा दिसंबर 2014 के मध्य), ए.ए. गुड़गांव (पश्चिम) ने बताया (जनवरी 2015) कि तीन मामलों में ₹ 12.43 लाख की अतिरिक्त मांग सृजित की गई है। ए.ए. फरीदाबाद (पूर्व), पानीपत तथा करनाल ने बताया कि मामले स्वतः कार्रवाई के लिए पुनरीक्षण प्राधिकारी के पास भेजे गए हैं। डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) बहादुरगढ़ ने कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया (नवंबर 2015)।

मामला मई 2015 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवंबर 2015)।

³⁴ बहादुरगढ़, फरीदाबाद (पूर्व), गुड़गांव (पश्चिम), करनाल तथा पानीपत।

2.6 गलत वर्गीकरण के कारण कर का अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण

स्टीम/कढ़ाई वाले वस्त्रों एवं स्पेयर पार्ट्स के गलत वर्गीकरण तथा 12.5 प्रतिशत की कर योग्य दर के विरुद्ध कम दर पर कर उद्ग्रहण करने के परिणामस्वरूप सात मामलों में ₹ 1.98 करोड़ के कर तथा सरचार्ज का अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण हुआ।

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 7(1)(ए)(iv) के अंतर्गत माल के वर्गीकरण पर निर्भर करते हुए अधिनियम की 'ए' से 'जी' सूचियों में विनिर्दिष्ट दरों पर कर उद्ग्रहणीय है तथा उपर्युक्त सूचियों में अवर्गीकृत वस्तुएं कर की सामान्य दर अर्थात् 1 जुलाई 2005 से प्रभावी 12.5 प्रतिशत पर कर योग्य है। आगे, 02 अप्रैल 2010 से कर के पांच प्रतिशत की दर पर सरचार्ज भी उद्ग्रह्य था।

2.6.1 डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), पानीपत के कार्यालय के कर-निर्धारण अभिलेखों से सितंबर 2014 में लेखापरीक्षा ने देखा कि एक डीलर ने वर्ष 2010-11 के दौरान ₹ 5.05 करोड़ मूल्य की स्टीम का विक्रय किया तथा कर मुक्त विक्रय के रूप में दावा किया तथा ए.ए. ने भी मार्च 2014 में कर-निर्धारण अंतिम करते समय, इसे एच.वी.ए.टी. अधिनियम की अनुसूची 'बी' के अंतर्गत कर मुक्त माल मानते हुए अनुमति दे दी। तथापि, स्टीम किसी भी अनुसूची में वर्गीकृत नहीं है, अतः 12.5 प्रतिशत कर के साथ सरचार्ज कर योग्य है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 66.23 लाख के कर एवं सरचार्ज का अनुद्ग्रहण हुआ, इसके अतिरिक्त ₹ 52.99 लाख का ब्याज भी उद्ग्रह्य था।

यह इंगित किए जाने पर (सितंबर 2014), डी.ई.टी.सी.(एस.टी.) पानीपत ने बताया (सितंबर 2015) कि ₹ 1.21 करोड़ मूल्य की अतिरिक्त मांग सृजित की गई थी।

2.6.2 डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), सोनीपत के कार्यालयों के अभिलेखों से लेखापरीक्षा ने देखा (मई से जुलाई 2014) कि 2011-12 के दौरान चार डीलरों ने ₹ 8.62 करोड़ के कढ़ाई वाले वस्त्र बेचे तथा कर मुक्त माल का दावा किया। ए.ए. ने नवंबर 2013 में कर-निर्धारण अंतिम करते समय, इसे एच.वी.ए.टी. अधिनियम की सूची 'बी' के अंतर्गत कर मुक्त माल मानते हुए कटौतियों की अनुमति दे दी। तथापि, कढ़ाई वाले वस्त्र किसी अनुसूची में वर्गीकृत न होने के कारण 12.5 प्रतिशत कर के साथ सरचार्ज कर योग्य है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 58.81 लाख के ब्याज के अतिरिक्त ₹ 1.13 करोड़ राशि के वैट का अनुद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर (मई तथा जुलाई 2014 के मध्य), डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) सोनीपत ने बताया (सितंबर 2015) कि मामले स्वतः कार्रवाई के लिए पुनरीक्षण प्राधिकारी के पास भेज दिए गए थे।

2.6.3 लेखापरीक्षा ने देखा (अगस्त तथा सितंबर 2014) कि डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) करनाल के अंतर्गत दो डीलरों ने वर्ष 2010-11 से 2011-12 के दौरान ₹ 2.45 करोड़ मूल्य के मशीनरी पार्ट्स बेचे तथा पांच प्रतिशत की दर पर ₹ 12.86 लाख के कर के साथ सरचार्ज का भुगतान किया। ए.ए. ने भी अक्टूबर 2013 से फरवरी 2014 के दौरान कर-निर्धारण अंतिम करते समय, अवर्गीकृत मद के संबंध में लागू के रूप में 12.5 प्रतिशत के कर के साथ सरचार्ज की सही दर की बजाय पांच प्रतिशत की दर पर कर के साथ सरचार्ज उद्ग्रहीत किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 11.90 लाख के ब्याज के अतिरिक्त ₹ 19.30 लाख के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

ए.ए. करनाल ने अगस्त तथा सितंबर 2014 के मध्य उत्तर दिया कि मामले स्वतः कार्रवाई के लिए पुनरीक्षण प्राधिकारी के पास भेज दिए गए थे।

मामला मई 2015 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवंबर 2015)।

2.7 जमा कर से अधिक की अनुमति

₹ 9.82 करोड़ की बजाय ₹ 10.44 करोड़ के कर जमा के समायोजन की अनुमति दी गई थी परिणामस्वरूप ₹ 61.75 लाख जमा कर से अधिक लाभ की अनुमति दी गई, इसके अतिरिक्त ₹ 29.64 लाख का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 14(3) के अंतर्गत, प्रत्येक डीलर जिसकी इस अधिनियम के अधीन कर भुगतान की कुल देयता उसके द्वारा फाईल की गई रिटर्नस के अनुसार गत वर्ष या उसके कुछ हिस्से के लिए एक लाख ₹ के बराबर या उससे अधिक या ऐसी अन्य कोई राशि, जो भी निर्धारित की जाए, निर्धारित ढंग में, इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए नियमों के प्रावधानों के अनुसार उसके द्वारा परिगणित, प्रत्येक मास की 15 तारीख को या उससे पहले उसके द्वारा गत मास के लिए देय कर की पूरी राशि का भुगतान करेगा। ई.टी.सी., हरियाणा ने भी अनुदेश जारी किए (मार्च 2006) कि जमा किए गए कर का लाभ सरकारी कोषालय में कर भुगतान के सत्यापन के बाद दिया जाना चाहिए। आगे, एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 14(6) के अंतर्गत ब्याज भी उद्ग्राहणीय था।

लेखापरीक्षा ने देखा (जनवरी 2015) कि डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), गुड़गांव (पश्चिम) के अंतर्गत एक डीलर ने वर्ष 2011-12 के दौरान कर जमा के लाभ के रूप में ₹ 10.44 करोड़ का दावा किया। तथापि, डी.सी.आर. से जमाओं के सत्यापन ने दर्शाया कि 29 नवंबर 2011 को दावा की गई ₹ 61.75 लाख की राशि जमा की गई नहीं पाई गई थी। यह राशि खजाने में जमा नहीं पाई गई थी। तथापि, ए.ए. ने नवंबर 2013 में कर-निर्धारण अंतिम करते समय ₹ 9.82 करोड़ की बजाय ₹ 10.44 करोड़ (₹ 61.75 लाख सहित) के कर जमा के समायोजन की अनुमति दे दी। ई.टी.सी. के अनुदेश (मार्च 2006) के बावजूद, कि जमा किए गए कर का लाभ सरकारी खजाने में कर के भुगतान के सत्यापन के बाद ही दिया जाना चाहिए, ए.ए. ने कर के समायोजन की अनुमति दी जोकि डीलर द्वारा खजाने में जमा नहीं करवाया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 61.75 लाख के कर के अधिक लाभ की अनुमति दी गई, इसके अतिरिक्त ₹ 29.64 लाख का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

यह इंगित किए जाने पर (जनवरी 2015), डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) गुड़गांव (पश्चिम) ने सितंबर 2015 में बताया कि ₹ 61.75 लाख की अतिरिक्त मांग सृजित की गई है। ए.ए. ने आगे मई 2015 में सूचित किया कि डीलर के विरुद्ध देय राशि के लिए 'वसूली कार्यवाही' प्रारंभ कर दी गई है।

मामला मई 2015 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवंबर 2015)।

2.8 रसायनों के विक्रय पर कर का अनुद्ग्रहण

रसायनों (औद्योगिक इनपुटज) के संबंध में 4.2 प्रतिशत की दर पर कर योग्य के बजाय इसे करमुक्त बिक्री मानते हुए कटौती की अनुमति दी गई थी परिणामस्वरूप ₹ 26.28 लाख के ब्याज के अतिरिक्त ₹ 50.53 लाख के सी.एस.टी. का अनुद्ग्रहण हुआ।

एच.वी.ए.टी. अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न औद्योगिक इकाइयों को औद्योगिक इनपुट के रूप में बेचे गए रसायन सूची 'सी' की प्रविष्टि 102 के अधीन होने के कारण, चार प्रतिशत की दर पर कर तथा उद्ग्रहण कर पर पांच प्रतिशत की दर पर सरचार्ज अप्रैल 2010 से प्रभावी एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा-7(ए) के अधीन उद्ग्रहणीय हैं। केंद्रीय बिक्री कर (सी.एस.टी.) दर वही दर है जैसे राज्य में 'सी' फार्म के बिना विक्रेता डीलरों पर वैट की दर लागू है। आगे, एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 14(6) के अंतर्गत ब्याज भी उद्ग्रहणीय था।

लेखापरीक्षा ने देखा (अगस्त 2014) कि डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) पानीपत के अंतर्गत आने वाले एक डीलर ने वर्ष 2011-12 के दौरान विभिन्न प्रकार के अल्कोहल/शराब बनाने वाली पंजाब की औद्योगिक इकाइयों को ₹ 12.03 करोड़ मूल्य के रसायन बेचे तथा माल के कर मुक्त विक्रय का दावा किया। ए.ए. ने नवंबर 2013 में वैट के अधीन मामले का कर-निर्धारण किया तथा इसे माल का करमुक्त विक्रय मानते हुए गलत कटौती अनुमत कर दी। चूंकि, रसायन औद्योगिक इनपुट हैं तथा 4.2 प्रतिशत की दर पर कर योग्य है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 26.28 लाख के ब्याज के अतिरिक्त ₹ 50.53 लाख के सी.एस.टी. का अनुद्ग्रहण हुआ।

यह इंगित किए जाने पर, डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) पानीपत ने सितंबर 2015 में बताया कि मामला पुनरीक्षण प्राधिकारी को स्वतः कार्रवाई के लिए भेजा गया था।

मामला मई 2015 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवंबर 2015)।

2.9 पाईपों के विक्रय पर कर का कम उद्ग्रहण

छः मामलों में कर की सही दर पांच प्रतिशत की बजाय चार प्रतिशत की दर पर कर उद्ग्रहीत किया गया था परिणामतः ₹ 30.74 लाख के ब्याज के अतिरिक्त ₹ 41.15 लाख के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

एच.वी.ए.टी. अधिनियम, 2003 की धारा-7(1)(ए)(iv) के अंतर्गत 1.7.2005 से प्रभावी माल के वर्गीकरण पर निर्भर करते हुए अधिनियम की 'ए' से 'जी' सूचियों में विनिर्दिष्ट दरों पर कर उद्ग्रहणीय है। एच.वी.ए.टी. अधिनियम की सूची 'सी' की प्रविष्टि संख्या 60 के अंतर्गत कलईदार लोहे की पाईपों, ढली हुई लोहे की पाइपों, डक्टाईल पाईपों, पोलिविनाईल क्लोराईड पाईपों तथा कंड्यूट पाईपों सहित सभी प्रकार की पाईपें दिनांक 15.2.2010 से प्रभावी पांच प्रतिशत की दर पर कर योग्य हैं तथा एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा-7(ए) के अधीन पांच प्रतिशत की दर पर 2 फरवरी 2010 से प्रभावी सरचार्ज उद्ग्रहणीय है। आगे, एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 14(6) के अधीन ब्याज भी उद्ग्रहणीय है।

डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), सोनीपत तथा रोहतक के कर-निर्धारण अभिलेखों से लेखापरीक्षा ने देखा (जून 2014 से जनवरी 2015) कि छः डीलरों ने ₹ 49.20 करोड़ मूल्य की माईल्ड स्टील (एम.एस.) पाईपें, स्टेनलेस स्टील (एस.एस.) पाईपें, ब्लैक पाइपें तथा स्टील पाईपें बेची

(2010-11 तथा 2011-12) तथा चार/पांच प्रतिशत की दर पर ₹ 2.17 करोड़ के कर का भुगतान किया। ए.ए. ने भी कर-निर्धारण अंतिम करते समय (नवंबर 2013 से मार्च 2014) 'सूची-सी' वस्तुओं के संबंध में लागू पांच प्रतिशत कर के साथ सरचार्ज की सही दर की बजाय चार प्रतिशत की दर पर कर का उद्ग्रहण किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 30.74 लाख के ब्याज के अतिरिक्त ₹ 41.15 लाख के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

ए.ए. सोनीपत ने उत्तर दिया (जून 2015) कि मामला पुनरीक्षण प्राधिकारी के पास स्वतः कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। रोहतक के ए.ए. ने बताया कि दो मामले स्वतः कार्रवाई के लिए पुनरीक्षण प्राधिकारी को भेजे गए थे तथा एक मामले में बताया कि डीलरों ने पाईपों की बजाय एम.एस. ट्यूबज का विक्रय किया तथा कर सही लगाया गया है। ए.ए. रोहतक का उत्तर सही नहीं था क्योंकि डीलर ने स्टील पाईपें बेची थी। ए.ए. रोहतक के एक मामले के संबंध में उत्तर अभी भी प्रतीक्षित था।

मामला मई 2015 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवंबर 2015)।

2.10 फार्म वैट डी-1 के दुरुपयोग के लिए अतिरिक्त कर/पेनल्टी का अनुद्ग्रहण

अ- एकमुश्त निर्माण ठेकेदार ने फार्म वैट डी-1 पर दिए प्रमाणपत्र में निर्धारित शर्त का उल्लंघन किया परिणामतः ₹ 65 लाख के अतिरिक्त कर तथा पेनल्टी का अनुद्ग्रहण हुआ।

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 7(3) के अंतर्गत, जहां कर योग्य माल एक डीलर से दूसरे डीलर को बेचा जाता है, कर निम्नतर दर (चार प्रतिशत) पर उद्ग्रहणीय है यदि क्रेता डीलर वैट-डी-1 में यह प्रमाणित करते हुए एक घोषणा प्रस्तुत करता है कि माल विक्रय के लिए माल के विनिर्माण में प्रयोग हेतु है, ई.टी.सी. ने स्पष्ट किया (मार्च 2013) कि जो एकमुश्त निर्माण ठेकेदार नहीं हैं, विशेषतः सड़कों तथा भवनों के निर्माण में लगे हुए सिविल निर्माण ठेकेदार माल के विनिर्माता न होने के कारण फार्म वैट डी-1 के विरुद्ध रियायती दर पर माल खरीदने की सुविधा प्राप्त नहीं कर सकते। यदि ऐसे किसी डीलर ने फार्म वैट डी-1 का दुरुपयोग किया है तो जैसा कि अधिनियम/नियमों के अंतर्गत प्रावधान है उसके विरुद्ध दंड कार्रवाई की जानी अपेक्षित है। आगे, यदि कोई प्राधिकृत डीलर किसी माल को खरीदने के बाद विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए माल का प्रयोग करने में विफल रहता है, ए.ए. उस पर एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा-7(5) के अंतर्गत एक राशि, जो कर से डेढ़ गुणा से अधिक न हो जो अतिरिक्त रूप से उद्ग्रहीत की जाएगी, पेनल्टी के रूप में लगा सकता है। तथापि, कोई पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी यदि डीलर, उस अवधि के लिए रिटर्नस के साथ स्वेच्छा से उस कर का भुगतान करता है जोकि एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 7(1)(ए) के अंतर्गत अतिरिक्त रूप से उद्ग्रहीत किया जाना था, जब वह विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए खरीदे माल का प्रयोग करने में विफल रहा था।

डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), पानीपत के कर-निर्धारण अभिलेखों से लेखापरीक्षा ने देखा (जुलाई 2013) कि एक डीलर (नियमित/सामान्य निर्माण ठेकेदार) ने वर्ष 2009-10 के दौरान फार्म वैट डी-1 में घोषणा के विरुद्ध ₹ 3.06 करोड़ का माल खरीदा। यह प्राधिकृत नहीं था क्योंकि डीलर सामान्य निर्माण ठेकेदार था जिसने कर के एकमुश्त भुगतान का विकल्प नहीं दिया था तथा ₹ 33.41 लाख के आई.टी.सी. का दावा किया था। डीलर ने रिटर्नस के साथ ₹ 26 लाख के अतिरिक्त कर का भुगतान भी नहीं किया तथा इस प्रकार, फार्म वैट डी-1 पर

दिए प्रमाण-पत्र में निर्धारित शर्त का उल्लंघन किया। अतः, डीलर एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 7(5) के अंतर्गत ₹ 26 लाख के अतिरिक्त कर तथा ₹ 39 लाख की पेनल्टी के भुगतान के लिए दायी था। ए.ए., मार्च 2013 में कर-निर्धारण अंतिम करते समय इस उल्लंघन के लिए इसका उद्ग्रहण करने में विफल रहा। इसके परिणामस्वरूप ₹ 65 लाख के अतिरिक्त कर तथा पेनल्टी का अनुद्ग्रहण हुआ।

डी.ई.टी.सी (एस.टी.) पानीपत ने उत्तर दिया (सितंबर 2015) कि मामला उपयुक्त कार्रवाई के लिए पुनरीक्षण प्राधिकारी को भेजा गया था।

मामला मई 2015 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवंबर 2015)।

2.11 विक्रयों के छिपाने के कारण कर का अपवंचन

विक्रयों के छिपाने के संबंध में ₹ 67.59 लाख की पेनल्टी के अतिरिक्त ₹ 22.53 लाख के कर की वसूली के लिए चार चूककर्ता डीलरों के विरुद्ध नौ मास बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई प्रारंभ नहीं की गई थी।

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 38 के अंतर्गत, यदि एक डीलर ने अपने विक्रयों, क्रयों राज्य में आयातों या माल के स्टॉक छिपाने के विचार से झूठे तथा गलत लेखे या दस्तावेज अनुरक्षित किए गए हैं या कोई ब्यौरे छिपाए हैं या किसी प्राधिकारी के समक्ष कोई लेखा, रिटर्न, दस्तावेज या सूचना प्रस्तुत की है या रखी है जिसमें किसी सामग्री के विवरण झूठे या गलत हैं, ऐसा प्राधिकारी उसे, कर जो उस पर निर्धारित किया जाता है या निर्धारित किया जाना दायी है, के अतिरिक्त पेनल्टी के रूप में कर की तीन गुणा राशि का भुगतान करने के लिए निदेश दे सकता है जिसे बचा लिया जाता यदि ऐसा लेखा, रिटर्न, दस्तावेज या सूचना, जैसा भी मामला हो, सच्चा या सही स्वीकार कर लिया जाता।

लेखापरीक्षा ने देखा (अक्टूबर 2014) कि डी.ई.टी.सी. (एस.टी.), पानीपत के अंतर्गत आने वाले चार डीलरों (धागा तथा अपशिष्ट का व्यापार करने वाले) ने अपनी बिक्रियों में ₹ 4.29 करोड़ के उस माल को शामिल नहीं किया जो पानीपत के एक डीलर को 2011-12 के दौरान बेचा गया था तथा इस प्रकार, बिक्रियों को छिपाया। ए.ए. ने इन डीलरों के कर-निर्धारण अंतिम किए (अप्रैल से जुलाई 2013)। बिक्रियों का यह छिपाव ए.ए. के ध्यान में आया (जनवरी 2014) किंतु संबंधित ए.ए. द्वारा धारा 38 के अंतर्गत कर तथा पेनल्टी के उद्ग्रहण हेतु चूककर्ता डीलरों के विरुद्ध कोई कार्रवाई प्रारंभ नहीं की गई थी। इस प्रकार, डीलरों ने ₹ 4.29 करोड़ मूल्य के विक्रय छिपाए तथा पांच प्रतिशत की दर पर ₹ 22.53 लाख के कर के साथ सरचार्ज के भुगतान के लिए दायी थे। अतिरिक्त रूप से, बिक्रियों को छिपाने पर बचाए गए कर के तीन गुणा की दर पर ₹ 67.59 लाख की अनिवार्य पेनल्टी भी उद्ग्रह्य थी।

डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) पानीपत ने उत्तर दिया (सितंबर 2015) कि तीन मामलों में पुनः कर-निर्धारण किए गए हैं तथा ₹ 22.21 लाख की अतिरिक्त मांग सृजित की गई थी तथा शेष एक मामले में पुनः कर-निर्धारण की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

मामला मई 2015 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवंबर 2015)।

2.12 एच.डी.पी.ई. पाईपों के विक्रय पर कर का अनुद्ग्रहण

पांच प्रतिशत की दर पर कर के साथ सरचार्ज उद्ग्रहण करने की बजाय ₹ 3.08 करोड़ के एच.डी.पी.ई. पाईपों के करमुक्त विक्रय की अनुमति दी गई थी परिणामस्वरूप ₹ 10.68 लाख के ब्याज के अतिरिक्त ₹ 16.17 लाख की राशि के कर का अनुद्ग्रहण हुआ।

एच.वी.ए.टी. अधिनियम की धारा 7(1) (ए) (iv) के अंतर्गत, माल के वर्गीकरण पर निर्भर करते हुए अधिनियम की 'ए' से 'जी' सूचियों में विनिर्दिष्ट दरों पर कर उद्ग्रहणीय है। वित्तियुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार ने 18 नवंबर 2011 को स्पष्ट किया है कि हाई डेंसिटी पोलिथिलीन पाईपें (एच.डी.पी.ई.) करमुक्त वस्तुएं नहीं हैं परंतु एच.वी.ए.टी. अधिनियम की सूची 'सी' की प्रविष्टि संख्या 60 के अधीन आवृत्त हैं तथा पांच प्रतिशत की दर पर कर योग्य हैं।

लेखापरीक्षा ने देखा (मई तथा जून 2014) कि डी.ई.टी.सी. (एस.टी.) सोनीपत के अंतर्गत एक डीलर ने ₹ 3.08 करोड़ मूल्य की एच.डी.पी.ई. पाईपें बेची (2010-11 तथा 2011-12) तथा कर मुक्त विक्रय का दावा किया। ए.ए. ने कर-निर्धारण अंतिम करते समय (नवंबर 2013 तथा फरवरी 2014) पांच प्रतिशत की दर पर कर उद्ग्रहण करने की बजाय वही अनुमत कर दिया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 16.17 लाख की राशि के कर के साथ सरचार्ज का अनुद्ग्रहण हुआ, इसके अतिरिक्त ₹ 10.68 लाख का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

ए.ए. ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2015) कि मामले स्वतः कार्रवाई के लिए पुनरीक्षण प्राधिकारी के पास भेजे गए थे।

मामला मई 2015 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवंबर 2015)।